Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023 and the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023

माननीय सभापति : आइटम नंबर 18 व 19, जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023

श्री जगदम्बिका पाल जी।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि कल मैंने जम्मू-कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पर बोलना शुरू ही किया था।

HON.CHAIRMAN: Kindly conclude in five minutes.

श्री जगदम्बिका पाल : अधिष्ठाता महोदय, आज आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये दोनों जो संशोधन विधेयक हैं, ये अधिकारों के विधेयक हैं, ये विधेयक लोगों में सहभागिता करने वाले विधेयक हैं। ये विधेयक जम्मू-कश्मीर के सभी लोगों के भारत सरकार की योजनाओं के गुड गवर्नेंस में, सरकार के शासन-प्रशासन में हिस्सेदारी के विधेयक हैं। यह स्वाभाविक है कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग-ए-आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सपना देखा होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सपना देखा, जिसके नाते उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। उनकी उस शहादत के बाद आज यकीनन उनका सपना पूरा हो रहा है। जम्मू-कश्मीर के तमाम आदिवासियों, जिनको एसटी का आरक्षण नहीं था, पहली बार हमारे गृह मंत्री जी उन आदिवासियों को 9 प्रतिशत आरक्षण देने का काम करेंगे। एसटी का आरक्षण पहली बार हो रहा है। एससी में भी 6 प्रतिशत था, जिसे हमने 7 परसेंट किया है। आज उस गवर्नेंस की बात हो रही है। सुप्रिया जी यहां मौजूद हैं, लेकिन हमारे एनसीपी के लोग नहीं हैं। कल जिस तरीके से कहा जा रहा था कि हमारे एक गवर्नर साहब चले गए हैं और पॉपुलर सरकार नहीं है, तो यह स्कीम क्यों आ रही है? आप यकीन कीजिए कि गवर्नर साहब के जाने के बाद उन्होंने गवर्नेंस की प्रक्रिया शुरू की है। जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी जबसे बने हैं, तब से जिलों में प्रशासन की योजानाओं का इम्पैक्ट हो, क्रियान्वयन हो, वास्तविकता के धरातल पर डिलीवरी हो, इस हेतु उन्होंने डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स का कार्यक्रम शुरू किया है। यह जानकर अपको आश्चर्य होगा और पूरे सदन के लिए संतोष का विषय होगा कि जम्मू-कश्मीर में मनोज सिन्हा जी ने जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स का काम शुरू किया, आज उसको नीति आयोग ने, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, भारत सरकार ने पूरे देश के 35 राज्यों को इस इंडेक्स का आधार मानकर इस गुड गवर्नेंस डिस्ट्रिक्ट को लागू करने का काम जम्मू-कश्मीर में किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो चुनी

हुई सरकारें थीं, तो मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलता था, जिसके प्रति बहुत अकीदा था। हमारे समुदाय के लोगों का उसके प्रति बहुत विश्वास था। उस जुलूस को ?जुलजनाह जुलूस? कहते हैं। हमारे मसूदी साहब यहां नहीं हैं। ? जुलजनाह जुलूस? वर्षों से बंद पड़ा था। लोगों की अपनी जो धार्मिक मान्यताएं होती थीं, रिचुअल्स होते थे, वे भी सिक्योरिटी रीजन से नहीं हो पाते थे, क्योंकि जम्मू-कश्मीर के हालात सामान्य नहीं होते थे। उस नाते मुहर्रम का ? जुलजनाह जुलूस? निकलना बंद हो गया था। लोग अपने घरों में बैठकर अपनी तकदीर के लिए आंसू बहाते थे कि वे अपने रिचुअल को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मनोज सिन्हा जी के जाने के बाद पहली बार फिर से मुहर्रम का ? जुलजनाह जुलूस? निकला है। सालों बाद जब ये जुलूस निकला, तो इसका सभी ने स्वागत किया। मनोज साहब भी उसमें शामिल हुए। हमारे फारुख अब्दुल्ला साहब यहां नहीं हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनके बेटे ने भी मनोज सिन्हा जी का स्वागत किया। यह एक बहुत बड़ा कदम है। आज नए कश्मीर की बात हो रही है। नए कश्मीर में फर्क यह आ गया है कि अब राज्याभिषेक नहीं हो रहा है।

पहले क्या होता था, अगर फारूख अब्दुल्ला साहब नहीं हैं तो उमर अबदुल्ला साहब हो गए। अगर मुफ्ती साहब नहीं हैं तो महबूबा मुफ्ती हो गईं। आज भाजपा एनडीए की सरकार आने के बाद इस राज्यभिषेक की प्रणाली को बंद कर दिया गया है। अब यह एक के बाद एक राज्याभिषेक डायनेस्टी नहीं चलेगी अब यह हुआ है कि निश्चित तौर से जो जनता के विश्वास से चुनकर आएंगे, जो जनता के द्वारा चुने जाएंगे, लोकल बॉडीज में, गाँव के प्रधान, सरपंच, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक और जिला परिषद् में चुने जाएंगे, वे जम्मू-कश्मीर की तकदीर और तस्वीर का फैसला करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने किया है। कल आदरणीय जितेन्द्र सिंह जी ने कहा था कि 60-70 सालों के बाद जिस तरीके से वहां लोकल बॉडीज का चुनाव हुआ है, इतनी बड़ी तादाद में जो स्थानीय सरकारें बनी हैं, गाँव के विकास का फैसला गाँव की चौपाल में बैठकर, बीडीसी की बैठक में बैठकर ब्लॉक और जिले में हुआ है।

13.05 hrs

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

कल बात उठाई गई कि साहब वहां सैफरन था, जिसका बहुत नाम था। आज न कोई सैफरन पर ध्यान दे रहा है और न वहां के एग्रीकल्चर पर कोई ध्यान दिया जा रहा है। एक टूरिज्म की बात भी कही जा रही है। मैं कहा रहा हूं कि सैफरन की भी बात कर लीजिए। यह रिकॉर्ड है कि आज हमारी सरकार में, मैं कहना चाहता हूं कि किस तरीके से एग्रीकल्चर पर, किसानों पर और जम्मू-कश्मीर की इकोनॉमी पर वहां एक रिवॉल्यूशन लाने की बात हो रही है।

जनाब सौगत राय साहब ने भी कहा था कि कुछ नहीं है। आज जो वहां का सैफरन है, पिछले दस सालों में उतनी पैदावार नहीं हुई थी। इस बार पिछले 10 सालों में सैफरन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है।

मैं यहां के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो पुलवामा के बारे में कहा जाता था कि वह आतंकवाद का गढ़ है तो आज पुलवामा पूरी दुनिया में केसर की बागान के रूप में बदल गया है। यह कहीं न कहीं इस केंद्र सरकार की नीतियों की देन है, क्योंकि वहां गुड गवर्नेंस हो रहा है। आज सरकार ने रिसेंटली किश्तवार में सैफरन को जीआई टैग भी कर दिया है। इसका मतलब है कि अब जीआई टैग के बाद यह सैफरन केवल अपने प्रदेश और देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की मॉर्केट में बिकेगा। मैं सैफरन की कीमत बता देता हूं। केसर को अब सोने से भी ज्यादा लाल सोना कहा जा रहा है। केसर का दाम चाँदी से बहुत ज्यादा है। वहां जो किसान केसर का उत्पादन कर रहे हैं, आज एक किलो सैफरन 3 लाख 25 हजार रुपये में बिक रहा है। आज निश्चित तौर से जम्मू-कश्मीर का किसान, जिसके बारे में मैंने कहा था कि आज उनकी इकोनॉमी देश के पाँचवें नम्बर पर है।

इरीगेशन की बात की गई कि इरीगेशन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो रहा है? आज वहां के किसानों के इरीगेशन के लिए और फ्लड मैनेजमेंट के लिए जिस तरीके से झेलम और उसकी जो सहायक नदियां हैं, उसके लिए 1 हजार 620 करोड़ रुपये झेलम की एक कांप्रिहेंसिव मैनेजमेंट के लिए दिए गए हैं। जिस तरीके से रावी का इश्यू था, वह पिछले 19 सालों से रुका पड़ा था, उसका पंजाब के साथ समझौता होना था, रावी नदी के पानी का हिस्सा जम्मू-कश्मीर को नहीं मिल रहा था, जो एक शाहपुर डैम प्रोजेक्ट कहलाता था, आज इसी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने पंजाब की सरकार से समझौता करके शाहपुर डैम के प्रोजेक्ट से जम्मू-कश्मीर के हितों के लिए 1150 क्यूसेक वाटर लेने का काम किया है। यह निश्चित तौर से जम्मू-कश्मीर के लिए अपने आप में एक बड़ी बात है।

अब मैं तवी बैराज प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहता हूं। आज वह प्रोजेक्ट जम्मू के टूरिज्म के लिए, जिस तरीके से जम्मू में आज एक आर्टिफिशियल लेक बनाकर, जो आठ साल से यह प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था, उस प्रोजेक्ट को आज जारी किया गया। इससे जम्मू का डेवलपमेंट बढ़ेगा।

पॉवर कट की भी बात की गई है। आप देखिए, जैसा मैं कल आखिरी बात कह रहा था कि पूरे जम्मू-कश्मीर में शाम होते ही कोई जुलूस या धरना होता था तो फटाफट सारे शटर्स गिरने लगते थे और दुकानें बंद हो जाती थीं। महीनों तक श्रीनगर की दुकानें नहीं खुलती थीं। कहीं कोई पॉवर की डिमांड नहीं थी। लोग घरों मैं कैद रहते थे। आज पिक डिमांड जो वर्ष 2019 में थी, उसके मुकाबले 18 परसेंट और बढ़ गई है। पॉवर सप्लाई 19 परसेंट इन्क्रीज हुई है।

वर्ष 2019 में जहां 1,700 मिलियन यूनिट्स की खपत थी, आज वर्ष 2022 में जम्मू-कश्मीर में 20,400 मिलियन यूनिट्स की खपत हो रही है। चाचा, यहां नहीं हैं। मैं फारूख चाचा से पूछता कि आप कह रहे हैं या लोग कह रहे थे, सुप्रिया जी अभी यहां नहीं हैं, वहां तो लोड शेडिंग हो रही है। मैं कह रहा हूं कि जब सरकारें चुनी गई थीं, तो उन चुनी हुई सरकारों में 10-10 सालों तक कोई पीपीए नहीं हुआ। जब पापर परचेज एग्रीमेंट नहीं होगा, कोई नया पावर स्टेशन नहीं आएगा, तो निश्चित तौर से बिजली का उत्पादन नहीं होगा। आज उसी का परिणाम है, जब आज हालात सामान्य हुए हैं, तो आज डेवलेपमेंट हो रहा है, कंजप्शन बढ़ रहा है। जम्मू-कश्मीर में हर साल लगातार बिजली की डिमांड औसतन 8 प्रतिशत बढ़ रही है। हमने पिछले 20 वर्षों में ट्रांसमिशन में एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। 5,000 करोड़ रुपये डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में खर्च किए हैं।?(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, अपना भाषण संक्षिप्त कीजिए और समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय**,** आज 2,500 मेगावाट के नए पीपीए हुए हैं। आज हमने 5,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। किसी सवाल के जवाब में भी आ चुका है कि Kishtwar is now being developed as North India? s major power hub. केवल जम्मू-कश्मीर का ही नहीं, बल्कि किश्तवाड़ नॉर्थ इंडिया का पावर हब होगा। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में 6,000 मेगावाट यूनिट्स का उत्पादन होगा, जो हमारे सवाल्कोट में है, दुली हस्ती में है, उरी में है, रैटल में हैं। 4,134 मेगावाट का उत्पादन आने वाले समय में होगा।

माननीय सभापति : आप डिटेल्स को छोड़िए और अपनी स्पीच कन्कलूड कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर केवल अपनी बिजली की डिमांड पूरी नहीं करेगा, बल्कि नेशनल ग्रिड पर सप्लाई करने का काम करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि क्या आज़ादी के बाद ये उपलब्धि नहीं दिखाई पड़ रही है? अगर हम जम्मू से श्रीनगर जाते थे, तो बनिहाल में 24-24 घंटे जाम लग जाता था और हम खड़े रहते थे। यहां रेल मंत्री जी बैठे हैं। मैं अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि आज पूरी दुनिया के समक्ष हमारे देश का सपना था कि जम्मू-कश्मीर के कश्मीर में वर्ष 2024 तक लोग रेल के माध्यम से जाने लगेंगे, जबकि पहले लोग बनिहाल में 24-24 घंटे फंसे रहते थे। इसके लिए रेल की कनेक्टिविटी श्रीनगर तक बढ़ाई जा रही है। जम्मू-कश्मीर के हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसके लिए खुद प्रधानमंत्री जी ने ?प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? में 2,080 करोड़ रुपये दिए हैं और इस दौरान ऑलरेडी 8,000 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं।

मैं पिछले दिनों श्रीनगर गया था। हमारे लद्दाख के साथी बोल रहे थे कि वहां के लोग कह रहे हैं कि हमें चुनाव नहीं चाहिए, यही चाहिए। मैं अपना अनुभव बताता हूं। मैं टैक्सी पर बैठा और एक दुकान पर गया। मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि चुनाव नहीं हो रहा, तो क्या होगा? उन्होंने कहा कि साहब बहुत बेहतर है। मैंने कहा कि क्या

बेहतर है? उन्होंने कहा कि साहब बहुत रौनक है। मैंने कहा कि रौनक का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि साहब शाम के बाद श्रीनगर अंधेरे में हो जाता था, लेकिन आज रात को 10-10 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं, बिक्री हो रही है, टूरिस्ट्स आ रहे हैं।?(व्यवधान) 59 प्रतिशत टूरिज्म बढ़ा है। आज वहां पर बुकिंग होती है।?(व्यवधान)

माननीय सभापति : एक-एक मिनट करके आपको दो बार एक्सटेंशन दिया गया है।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं यूथ की बात करके अपनी स्पीच समाप्त करूंगा। आज वहां पर यूथ के लिए ? मुमकिन? और ?तेजस्विनी? नामक दो स्कीम्स शुरू की गई हैं, जिसमें 18,000 और 13,900 वैकेन्सीज़ के लिए सेलेक्शंस हो रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ के लिए एक इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट स्कीम शुरू की गई है। फ्लैगशिप योजना है, जिसमें इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशंस से 54,000 करोड़ रुपये आए हैं। लोग कह रहे थे कि कहां आ रहा है। 1,984 करोड़ रुपये के अटके हुए प्रोजेक्ट्स निकाले गए हैं। जहां जम्मू-कश्मीर में इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, आज वहां पर इंडस्ट्री लग रही है। हाउसबोट की पॉलिसी आई है। सरकार पहली बार शिकारा के लिए वर्ल्ड क्लॉस टिप का पैसा दे रही है।? (व्यवधान)

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Thank you, Chairman Sir, for giving me this opportunity to speak on the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill as well as the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill.

चेयरमैन साहब, जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) और पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक में जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, उसके मेन अमेंडमेंट्स में दो सीट्स कश्मीरी पंडितों के लिए है। एक सीट पीओके के लिए है। उसी के साथ ही साथ असेंबली की सीट्स 107 से बढ़ाकर 114 की गई हैं। इसमें एक और बात है कि 24 seats are set aside for the area that falls under PoK.

मगर वे 24 सीट्स 114 के अंदर हैं या 114 प्लस 24 सीट्स हैं, उसके बारे में ऑनरेबल मिनिस्टर जवाब देते समय क्लेरिफाई कर दें। इसी के साथ हम इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग जेएडंके के एससी/एसटी रिज़र्वेशन के बिल और रीऑर्गेनाइजेशन के अमेंडमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। जब यह बिल हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ था और बाद में पास हुआ था तो उस समय ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने दो बातें बताई थीं। एक बात यह बताई थी कि जल्दी से जल्दी जेएंडके में असेंबली कॉन्स्टीट्यूट होगी ओर असेंबली के इलेक्शन होंगे, लेकिन अब बहुत डिले कर दिया है। इसके बाद कम से कम उसके इलेक्शन कराएं। उसके साथ एक बात और बताई थी कि अनुच्छेद 370

को रद्द करके जेएंडके का डेवलपमेंट करने के लिए इस बिल को लेकर आए हैं। इस बीच में हम भी जेएंडके में दो-तीन कमेटीज़ की मीटिंग्स में गए थे। वहां पर एलजी मनोज सिन्हा साहब ने वहां का डेवलपमेंट दिखाया। जेएंडके पार्ट ऑफ इण्डिया है तो उसका हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं।

ऑनरेबल चेयरमैन, इसके साथ-साथ एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसी हाउस में वर्ष 2014 में एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का बिल पास हुआ था। अब दस साल हो रहे हैं। उस एक्ट के अंदर जिस तरीके से तेलंगाना की सीटों को 119 से 153 इंक्रीज करने की बात थी, उसी तरह से आन्ध्र प्रदेश असेम्बली की सीट्स 175 से 225 इंक्रीज करनी थीं, वह नहीं की गई हैं। हम चाहते हैं कि तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को भी इम्प्लीमेंट करें। अभी एससी/एसटी रिज़र्वेशन के अमेंडमेंट की जो बात आई है, हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से तेलंगाना में भी एससी/एसटी के रिज़र्वेशन के लिए हम लोगों ने डिमाण्ड की थी। मेनली, हम लोगों ने तेलंगाना में बैकवर्ड क्लासेज, शेड्यूल कास्ट्स, शेड्यूल ट्राइब्स का सीट्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का बिल 2017 में पास करके इधर भेजा था। उसके लिए हमने हाउस में कई बार बात की है, लेकिन अभी तक वह बिल पेंडिंग है। एससी/एसटी का एजुकेशन रिज़र्वेशन बिल तेलंगाना का है, आप उसको भी तुरंत लेकर आएं।

सर, रीसेंट्ली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तेलंगाना आए थे। तेलंगाना आने पर एससी कैटेगरी के रिज़र्वेशन के लिए वह प्रॉमिस करके आए हैं। हम लोग उधर एक कमेटी बना रहे हैं तो आप तुरंत उसके बारे में देखिएगा। एससी कैटेगरी के लिए हमारी तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेम्बली ने 29 नवंबर, 2014 में एससी रिज़र्वेशन कैटेगराइजेशन के लिए शेड्यूल कास्ट्स का रेज्योल्यूशन पास करके भेजा है। वह वर्ष 2014 से अभी तक पेंडिंग है। आप उसके बारे में इमिडिएटली देखिएगा। कल से एससी/एसटी और माइनोरिटीज़ के रिज़र्वेशन की बात हो रही है। देश में हर एक स्टेट्स से अलग-अलग कैटेगरीज़ के लिए जो रिकमेंडेशंस आई हैं, तो इस तरह से पूरे देश के बारे में सोचना चाहिए। देश में जनगणना करके जन-गण के साथ-साथ एससी/एसटी का रिज़र्वेशन करना चाहिए।

सर, हम लोगों की बहुत दिन से वड्डेरा के लिए डिमांड थी। वड्डेरा को एसटी में नहीं, तो कम से कम एससी में डालने की डिमांड थी। अन्य राज्यों और कनार्टक ने वड्डेरा को एससी/एसटी में डाला है, लेकिन हमारे तेलंगाना में नहीं है। हम इस बिल को सपोर्ट करते हुए यही कहना चाहते हैं कि पूरे देश की जनगणना करके जन-गण के साथ-साथ सब लोगों के लिए रिज़र्वेशन देने के लिए आपके माध्यम से सरकार को डिमांड कर रहे हैं। हम इस जेएंडके बिल को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, धन्यवाद। आज 6 दिसंबर है। इस संविधान को जिन्होंने दिया, उन बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। दूसरा 6 दिसंबर का दिन है, जब इस देश के आम नागरिकों ने बाबर की निशानी को मिटाया था। इसलिए यह आज 6 दिसंबर का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस बिल को माननीय गृह मंत्री जी लेकर आए हैं, हम उनके समर्थन के लिए खड़े हुए हैं।

कहा जाता है कि दाग बहुत छोटे हैं, लेकिन जख्म बहुत गहरे हैं। दो छोटे बिल दिखाई दे रहे हैं, एक ओबीसी को इनक्लूड करना है और दूसरा विस्थापितों को। पता नहीं कहां से इन लोगों ने कश्मीरी पंडित सीख लिया है, मैंने पूरे बिल को देख लिया है और उस बिल में साफ लिखा है कि कश्मीरी पंडित, सिख, ईसाई, मुस्लिम या जो भी डिसप्लेस हुए, उनके लिए हम ये रिजर्वेशन लेकर आए हैं। दो यहां के लिए और एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए लाए हैं। हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते एक नारा हमेशा लगाते रहते थे कि ?कश्मीर है पुकारती, पुकारती है भारती। खून से तिलक करो, गोलियों से आरती।? और यह कंसिस्टेंट है। इसलिए कंसिस्टेंट है, और मैं यह बातें इसलिए कह रहा हूं कि वर्ष 1952 में जब यह आंदोलन हमारे तत्कालीन जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने चलाया, तो लोगों ने अपना इतिहास-भूगोल सब छोड़ दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता ने कभी इस मुद्दे को नहीं छोड़ा कि धारा 370 को खत्म करना है, 35ए खत्म करना है और जम्मू-कश्मीर जो हमारा इंटिग्रल पार्ट है, उसमें भारत का संविधान चलाना है। कल माननीय गृह मंत्री जी ने जो बातें कहीं, वे केवल यह नहीं है कि दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। यह केवल बीजेपी का नारा नहीं लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पेपर लेकर आया हूं। एक प्रधानमंत्री वह हैं जो कि आतंकवादी के साथ, यासिन मलिक के साथ, अपना फोटो खिंचवाते हैं और खुश हो जाते हैं। एक प्रधानमंत्री वह हैं जो दिवाली में सैनिकों के साथ दिवाली मनाने के लिए जाते हैं। उस प्रधानमंत्री का कंसिस्टेंसी देखिए, यह फोटो है, वर्ष 1952 में श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस आंदोलन को चलाया, उसको पूरे संघ परिवार ने और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया और आज के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने दिसम्बर, 1991 से जिस यात्रा को चालू किया और 26 जनवरी, 1992 को उन्होंने श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराया। मुझे यह इसलिए पता है कि जब वह एकता यात्रा चली और डॉ. जोशी के नेतृत्व में कश्मीर पहुंचनी थी। उस समय उसके कंवीनर माननीय प्रधानमंत्री जी थे। जब वे कश्मीर पहुंचे, आज कश्मीर लोग यात्रा लेकर जाते हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर यात्रा लेकर जाते हैं और उनको आतंकवादी भी दर्शन दे देते हैं, लेकिन उस सिचुएशन को क्रिएट करने में लाल चौक पर भारत का झंडा फहरे, इसके लिए क्या कुर्बानी भारत ने दी, ये उनको अंदाजा नहीं है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी वहां कंवीनर के तौर पर पहुंचे तो वह अड़ गए, क्योंकि भारत सरकार ने मना कर दिया था कि हम किसी भी कीमत पर भारत का झंडा लाल चौक पर नहीं फहरा सकते हैं, क्योंकि खून खराबा हो जाएगा। भारत का झंडा नहीं फहर सकता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं सामने से गोली खाऊंगा, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर जाऊंगा। आज भारतीय जनता

पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गोविंदाचार्य जी नहीं हैं। वह पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैडक्वार्टर थे। उनके साथ भारत सरकार का नेगोसिएशन हुआ। उस वक्त माननीय नरसिम्हा राव जी इस देश के प्रधानमंत्री थे। मैं इस केस को इसलिए जानता हूं कि उस समय के सीआरपीएफ के तत्कालीन आईजी, कश्मीर डिवीजन के श्री एन.के. तिवारी मेरे अपने मामा थे। लोधी रोड के उनके घर में, बी-45 उनके मकान का नंबर था, हमने वहां नेगोसिएशन किया, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी अड़े हुए थे कि मुझे हर हालत में करना है और आज धारा 370 और 35ए हटाकर इस सरकार ने कितना बड़ा काम इस देश के लिए किया है और हमारा जो मुद्दा वर्ष 1952 से रहा, उसको किस तरह से पूरा किया है, यह इसकी सबसे बड़ी निशानी है।

सर, कल बहुत बातें धारा 370 के बारे में हुईं। जितने वक्ताओं ने इस बारे में कहा, मैं उनको कह देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में केस जरूर चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पास किए हुए धारा 370 और 35ए को स्टे नहीं किया है। जब स्टे नहीं किया है तो जहां भी सुनवाई चल रही है, उसका क्या मतलब है। उन्होंने गलत बयानी की कि जो प्रेज़ीडेंशियल प्रोक्लेमेशन हुआ, उसमें जानबूझकर हमने अनुच्छेद 3ए का हनन किया है। वर्ष 2018 में कहा कि लेजिस्लेटिव असेम्बली की पावर पार्लियामेंट को चली जाएगी। वर्ष 1976 में तमिलनाडु में करूणानिधि जी की सरकार को करप्शन के आधार पर इंदिरा जी ने हटाया था, उसी का प्रोक्लमेशन मैं लेकर आया हूं।

यह सेम चीज कह रहा है। जब भी राष्ट्रपति शासन होता है तो असेंबली के जो अधिकार होते हैं, वे राष्ट्रपति को निहित हो जाते हैं। दूसरा, मैं सन् 1956 का स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बिल का पेपर लेकर आया हूँ। जब भारत सरकार ने तय किया कि हम राज्यों का बँटवारा अलग-अलग ढंग से करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने यह तय कर दिया था कि किसी भी राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि लेजिस्लेटिव असेंबली यह तय भी कर दे कि हमारे राज्य का बँटवारा नहीं होगा, उसके बावजूद भी यह पार्लियामेंट सक्षम है और इसी के आधार पर आपको ध्यान होगा कि तेलंगाना, जहां के रेवन्त रेड्डी अभी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, तेलंगाना की असेंबली ने कहा कि हम पास नहीं कर सकते हैं, उसके बावजूद भी खून-खराबा हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि यह गलत बयानी पूरी तरह से गलत है।

दूसरा, मैं कश्मीर के बारे में कहना चाहता हूँ कि आखिर यह रिजर्वेशन की परम्परा कहां से स्टार्ट हुई? 13 जुलाई को कश्मीर बलिदान दिवस मनाता है। 13 जुलाई का दिन क्यों मनाया जाता है? मैं कुछ चीजों पर आना चाहता हूँ और एक्सेशन क्यों हुआ तथा हरिसिंह हमारे साथ क्यों नहीं आना चाहते थे, उस पर दो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, जिसे पूरे देश को जानने का सवाल है। पहला, 13 जुलाई को कश्मीर बलिदान दिवस क्यों मनाता है और हरिसिंह हिंदू राजा होने के बाद भी हमारे साथ आने को क्यों तैयार नहीं थे?

13 जुलाई, 1931 को राजा के खिलाफ जो एजिटेशन था, वह बेसिकली कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हो गया। कश्मीरी पंडितों में से कम से कम 100 कश्मीरी पंडितों की 13 जुलाई, 1931 को हत्या हुई थी। उन कश्मीरी पंडितों की हत्या को बचाने के लिए गोलियां चली थीं। 13 जुलाई को ये सारी पार्टिया, चाहे नेशनल कांफ्रेंस हो, मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये सब लगातार 13 जुलाई को बलिदान दिवस मनाती हैं, लेकिन एक बार भी कश्मीरी पंडितों के बारे में नहीं कहती हैं। ये मुस्लिम कांफ्रेंस हुआ और यह नेशनल कांफ्रेंस हो गया। पूरे देशभर में सन् 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, लेकिन कश्मीर ही एक ऐसी जगह थी, जहां सन् 1946 में राजा हटाओ का नारा चल रहा था। राजा हटाओ के नारे में जिन्ना बहुत तेज थे। उन्हें पता था कि कल भारत का बँटवारा होने वाला है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन राजा साइन करने वाले हैं। नेहरू जी का ब्लंडर क्या है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। हरिसिंह के खिलाफ जो शेख अब्दुल्ला का आंदोलन था, उस आंदोलन को नेहरू जी ने सपोर्ट कर दिया और जिन्ना ने राजा का साथ दे दिया। अब राजा डबल माइंड में हो गए कि मेरा साथ तो जिन्ना दे रहे हैं और मेरा विरोध नेहरू कर रहे हैं तो मुझे भारत के साथ रहना है या नहीं रहना है, पाकिस्तान के साथ मुझे नहीं जाना है और इसीलिए उनका डबल माइंड होने के कारण इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बाद में साइन हुआ।

धारा 370 की जो वकालत करते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद सन् 1949 में मणिपुर ने भारत के संविधान में अपना मर्जर किया। सन् 1971 में सिक्किम ने हमारे साथ मर्जर किया तो क्या हम मणिपुर को एक स्पेशल स्टेटस धारा 370 की तरह दे दें कि तुम दो विधान चलाओ, प्रधान मंत्री बनाओ, राष्ट्रपति बनाओ। मैं यह कह रहा हूँ कि यह जो लॉजिक है, यह लॉजिक इतना घटिया और गलत है कि यह देश को गुमराह कर रहा है।

तीसरा, कल उन्होंने कोट किया कि सेना ने कहा था। मैं कुछ डेट्स लेकर आया हूँ। सर, मैं यह आर्मी का आर्काइव लेकर आया हूँ। यह डेट है कि हम 14 नवम्बर, 1947 को उरी सेक्टर से मुजफ्फराबाद जाने वाले थे, किसने रोका? दिनांक 22 मई, 1948 को हमने तिथवाल को जीत लिया था और हम मुजफ्फराबाद में घुसने वाले थे, किसने रोक दिया? हम लद्दाख और पुंछ के सेक्टर से दिसम्बर, 1948 में जाने वाले थे, आर्मी पूरे ऑक्यूपाइड कश्मीर को लाना चाहती थी, लेकिन किसने रोक दिया? इन्होंने रोक दिया। इन्होंने सीजफायर किया और मैं पेपर लेकर आया हूँ कि ये माउंटबेटन के साथ प्लेबिसाइट करने के लिए यू.एन. में गए थे। मैं अगस्त, 1947 का पाकिस्तान सरकार का जो प्रेस रिलीज है, वह लेकर आया हूँ। माउंटबेटन की किताब ?दी ग्रेट डिवाइड? में लिखा है कि जिन्ना प्लेबिसाइट के विरोध में थे। वे यू.एन. जाने के विरोध में थे। वे यह कह रहे थे कि यदि जनमत संग्रह होगा तो भारत का पूरा आवाम शेख अब्दुल्ला के साथ भारत के साथ जाएगा।

इसलिए किसी कीमत पर प्लेबिसाइट नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी नेहरू जी वहां गए और नेहरू जी ने इस तरह की सिचुएशन पैदा की कि आज हम तबाह हो रहे हैं। मैं सीआईए की रिपोर्ट और चाउ एन लाई एवं नेहरू जी के बीच जो पत्राचार हुआ, वह लेकर आया हूं। जब एक बार ब्रिटिश सरकार ने यह तय कर दिया कि तिब्बत, भूटान और नेपाल बफर स्टेट्स रहेंगे। एक अलग देश बन कर रहेगा। रसिया, ब्रिटेन और भारत सरकार के साथ यह एग्रीमेंट साइन हुआ। जब चाउ एन लाई बार-बार यह कह रहे हैं कि तिब्बत चाइना का इंटीग्रल पार्ट है, तो किस आधार पर आपने तिब्बत को एक देश के रूप में मान्यता दे दी? आज पूरा का पूरा कश्मीर और पूरा देश इन चीजों से तबाह है। हम चाइना से लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं और यह कह रहे कि नेहरू ने कोई बलंडर नहीं किया। मेरे पास कई चीजें हैं। मुझे पता है कि समय की कमी है। कश्मीरी पंडितों के बारे में बात हो रही है। मैं दो-तीन मिनट में अपनी बातें समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय, मैं वर्ष 1950 का लैंड रिकॉर्ड लेकर आया हूं। कश्मीरी पंडित श्रीमान विद्यावली जी के पास 70 हजार हेक्टेयर जमीन थी, रामदास जी के पास 20 हजार हेक्टेयर जमीन थी, तेजराम जी के पास पांच हजार हेक्टेयर जमीन थी, किशन सिंह जी के पास छ: हजार हेक्टेयर जमीन थी, दिवान धनपत राय के पास आठ हजार हेक्टेयर जमीन थी। कश्मीर में जिन हिन्दुओं या कश्मीरी पंडितों के पास जमीन का पूरा अधिकार था, आज आपने उनको विस्थापित कर दिया। आप उनके बारे में कह रहे हैं कि आप उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं। कश्मीरी पंडित माइग्रेट हो गए। आप उनके बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारा एक सैनिक मरता है, तो भारत सर्जिकल स्ट्राइक करती है। वैसे सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पूछते हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 1965 के वार में, यहां के सभी माननीय सांसदों ने देखा होगा कि कई पथों में एक बलवंतराय मेहता पथ है। मैं सोचने लगा कि बलवंतराय के नाम पर यह पथ क्यों है? बलवंतराय मेहता गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1962 के भारत-पाक युद्ध में बलवंतराय मेहता के हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज को पाकिस्तान ने उड़ा दिया। जब कांग्रेस के प्रधान मंत्री जी ताशकंद में समझौता करने के लिए गए, तो अपने माननीय मुख्यमंत्री की हत्या का भी बदला लेने के लिए भी इनके पास कोई शब्द नहीं था। यही कांग्रेस पार्टी है? ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं। जिसको अपने माननीय मुख्यमंत्री की परवाह नहीं है। बलवंतराय मेहता के नाम पर एक स्टैचू नहीं है। बलवंतराय मेहता के नाम एक स्कॉलरशिप नहीं है। बलवंतराय मेहता को इस देश के इतिहास ने भूला दिया, जो वर्ष 1965 में मुख्यमंत्री रहते हुए मारे गए। आप कहते हैं कि अनुच्छेद 370 और 35ए कैसे खत्म हो गया?

आज रिजर्वेशन की बात होती है। एससी और एसटी को रिजर्वेशन नहीं है। सर, यह माहौल कैसे पैदा हुआ? जब वर्ष 1943 से वर्ष 1953 तक शेख अब्दुल्ला से इनका नहीं पटा, तो कांग्रेस ने तीन मुख्यमंत्री बनाए - बख्शी गुलाम मोहम्मद, जीएम सादिक और मीर कासिम। उन्होंने क्या किया? वर्ष 1956 में कश्मीर ऐसा पहला राज्य था, जहां 70 प्रतिशत रिजर्वेशन केवल मुस्लिम को दिया गया, चाहे वे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों या सरकारी नौकरी

हो, क्योंकि दो संविधान थे। भारत का संविधान वहां लागू नहीं था। जब आप सारे मुस्लिम को रिजर्वेशन देंगे, तो आप माइग्रेशन की स्थिति पैदा करेंगे या नहीं करेंगे? अनुच्छेद 370 और 35ए खत्म होने के बाद भारत का संविधान वहां लागू हुआ या नहीं हुआ? आपके माननीय प्रधान मंत्री जी को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसके बदले इन्होंने क्या किया? वर्ष 2010 में इन्होंने टास्क फोर्स बना दिया और टास्क फोर्स बनाया कि आप उसकी ऑटोनॉमी की बात करिए।

मैं भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट लेकर आया हूं। एल. के आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी, अरूण जेटली जी और एस.एस. अहलुवालिया जी, उन्होंने कहा कि एक टास्क फोर्स बना कर तुम हुर्रियत कॉंफ्रेंस जैसे उग्रवादी तत्वों, गिलानी जैसे तत्वों को आगे बढ़ा रहे हो। इन्होंने कश्मीर के साथ केवल राजनीति की। इन्होंने इतनी राजनीति की कि जिस फारुख अब्दुल्ला के साथ आज रह रहे हैं, वे फारुख अब्दुल्ला साहब उनकी पार्टी की कैसे मदद कर रहे हैं? वे कहते हैं कि वाशिंग पॉडर में पार्टियां धूल जाती हैं। शेख अब्दुल्ला के मरने के बाद फारुख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। उन्होंने उसके घर को तोड़ दिया। गुल साहब को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया और पूरे कश्मीर में अनार्की ला दी। वर्ष 1987 में मफ को, इलेक्शन में रिगिंग कर दी और वर्ष 1989 में सारे कश्मीरी पंडितों को भगा दिया।

ये कहते हैं कि आप शेड्यूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए क्या करते हैं? हम केवल प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति का आर्टिफिशियल चेहरा नहीं दिखाते हैं। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आज इस देश के जो चीफ इनफॉर्मेशन कमिश्नर (सीआईसी) सामरिया हैं, वह शेड्यूल्ड कास्ट से हैं। जो सीएजी जीसी मुर्मू हैं, वह शेड्यूल्ड ट्राइब्स से हैं। हमने कोई राजनीति के लिए नहीं कहा। हम शेड्यूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्स को उनका सम्मान देना चाहते हैं। मैं राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की बात नहीं करता हूं। ये जो झूठी बातें कहते हैं कि लम्बा-लम्बा कहने लगे, जातिगत रिजर्वेशन होना चाहिए। हम मुख्य मंत्री बनाते हैं। आज तो भूपेश बघेल जी हट गए, अशोक गहलोत जी हट गए। अब आपके पास चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैं, क्या वह बैकवर्ड हैं? आपके पास चीफ मिनिस्टर सुक्खू हैं, क्या वह बैकवर्ड हैं? आपके नाना ने वर्ष 1961 में कहा कि किसी कीमत पर ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। जब मंडल कमीशन लागू हुआ, तो इसी हाउस में राजीव गांधी ने उसका विरोध किया। इनका ओबीसी का एकमात्र अध्यक्ष सीताराम केसरी हुए, जिसकी ... इन्होंने बाहर कर दिया। इसलिए यह बैकवर्ड की बात गलत है, रिजर्वेशन की बात गलत है। ये जो बिल लेकर आए हैं, हम माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में इन बिलों का समर्थन करते हैं और सदन से आग्रह करते हैं कि इनको निर्विरोध पास किया जाए। जय हिंद, जय भारत।

माननीय सभापति : श्री विनायक भाउराव राऊत।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): सर, मेरा सम्मानित सदस्य दुबे जी के भाषण पर एक ही? (व्यवधान) सर, एक मिनट सुनिये तो सही। वह आपके लिए भी अच्छा है। ... बाहर निकाला, ये शब्द अच्छे नहीं लगे।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : अरविंद साहब, नहीं नहीं, आप बैठिये।

? (व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत : अगर असंवैधानिक है तो उन शब्दों को निकालिये। ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No, Arvind sahab.

? (*Interruptions*)

माननीय सभापति : विनायक राऊत जी, आपके सहयोगी हैं। उनको बोलने दीजिए। उनको नोट बनाकर दे दीजिए।

? (व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत : मेरी बात का जवाब तो दे दीजिए।? (व्यवधान) आप चेयर पर हैं। मैंने जो सवाल उठाया है, उसका जवाब दे दीजिए।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : सावंत साहब, विनायक राऊत जी जवाब देंगे।

? (व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत : ... शब्द चले गए, फिर हम भी बोलेंगे।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : विनायक राऊत जी जवाब देंगे। आपकी कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

? (व्यवधान) ?*****

माननीय सभापति : विनायक राऊत जी, आप बोलिये।

? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Only the speech of Raut sahab will go on record. Whatever you want to speak, please tell Raut Sahab. He will deliberate on that.

? (*Interruptions*)

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति महोदय, मैं आदरणीय लोक सभा अध्यक्ष जी और आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस विषय पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए मौका दिया। खासकर जम्मू-कश्मीर के बारे में जब-जब सरकार के माध्यम से जो-जो कानून बनाए गए, चाहे वह अनुच्छेद 370 हटाने का कानून हो, एनआरसी का कानून हो, हमारे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे जी के आदेश से हमने हर बार केन्द्र सरकार को इस विषय के ऊपर समर्थन दिया है और इन दोनों बिलों के माध्यम से भी केन्द्र सरकार कश्मीरी लोगों के हित के लिए जो काम करना चाहती है, मैं अपनी पार्टी की तरफ से इन दोनों बिलों का समर्थन करता हूं।

जम्मू-कश्मीर अखंड भारत का एक पार्ट है। इसलिए इस देश में दो काननू नहीं होने चाहिए, दो संविधान नहीं होने चाहिए। सबसे पहले यह मांग और विचार हिन्दू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे जी ने कई वर्ष पहले रखे थे। सौभाग्य से आज प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी साहब के नेतृत्व में यह सरकार जम्मू-कश्मीर के लोगों को न्याय देने के लिए जो व्यवस्था कर रही है, वह अच्छी बात है। लेकिन जब ऐसी व्यवस्था करेंगे तो स्पष्ट रूप से यहां कुछ प्रश्नों का स्पष्टीकरण होने की आवश्यकता है। एक माइग्रेंट और दूसरा पीओके, इन दो पार्ट्स में बसे हुए लोगों को जम्मू कश्मीर की विधान सभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए जो बिल लाए हैं, उसका स्वागत है। वह तो होना ही चाहिए। लेकिन कई प्रश्न यहां निर्माण हो रहे हैं। उनका उत्तर अपने रिप्लाई में माननीय गृह मंत्री जी को देने की आवश्यकता है। चाहे माइग्रेंट हो या पीओके के अंदर रहने वाले लोग हों, उनको प्रतिनिधित्व देने की जो बात हो रही है, उनको असलियत में फायदा कब मिलेगा? सभी सदस्यों ने जैसे कहा है कि अभी वहां चुनाव हुआ नहीं है, होने की सम्भावना है या नहीं, उसके बारे में भी पता नहीं है। अगर वहां के लोगों को सही तरीके से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है, तो जल्दी से जल्दी जम्मू-कश्मीर में विधान सभा के चुनाव की भी घोषणा, आज के रिप्लाई में माननीय गृह मंत्री जी करेंगे, ऐसा मैं भरोसा व विश्वास रखता हूं।

मुझे ऐसा विश्वास है, जैसा कि गया कि 41,844 फैमिलीज वहाँ से माइग्रेट हो चुके हैं। जो युद्ध हुए, चाहे वह 1965 का युद्ध हो या 1971 का युद्ध हो, ऐसे युद्ध के काल में 41,844 फैमिलीज जब माइग्रेट हुए, तो वे लोग अपनी सारी सम्पत्तियाँ, सारी जायदाद को छोड़कर दूसरे स्थानों पर अपनी जान बचाने के लिए गए। उनको जहाँ भी जगह मिली, वे वहाँ रहे और आज भी रह रहे हैं। मुम्बई में भी कई ऐसी कई बस्तियाँ हैं। मेरा प्रश्न यह है कि लगभग 42 हजार फैमिलीज की जो सम्पत्तियाँ थीं, उनकी जो प्रॉपर्टीज थीं, जिसे उन लोगों ने छोड़ दिया था, वैसी प्रॉपर्टीज को खोज करके, उन लोगों को एक बार फिर से वहाँ पर बसाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों का

पुनर्वसन जम्मू-कश्मीर में किया जाएगा, ऐसा एलान पंत प्रधान आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने किया था। मेरी जानकारी के लिए या पूरे देशवासियों की जानकारी के लिए यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि चाहे कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी माइग्रेंट हो या जो लोग भी वहाँ से डर के कारण चले गए हों, उनको एक बार फिर से जम्मू-कश्मीर में उनकी सम्पत्ति या जायदाद पर उनका पुनर्वास कब करेंगे? उनके पुनर्वास की व्यवस्था हो रही है या नहीं हो रही है? ऐसे लोगों की जो प्रॉपर्टीज हैं, उनका कब्जा किसके पास है, इसकी जानकारी भी देने की आवश्यकता है।

दूसरी बात कश्मीरी लोगों के लिए रिज़र्वेशन बिल की है। यह बहुत अच्छी बात है। सोशियली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज के लिए जो रिज़र्वेशन देने का एलान इस बिल के माध्यम से हो रहा है, वह अभिनन्दनीय है। मैं इसका अभिनन्दन करता हूँ।

मेरी दूसरी मांग है कि आज इस देश में कई ऐसे समाज हैं, जो आज भी आरक्षण के लिए तड़प रहे हैं, खास करके महाराष्ट्र में। महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि महाराष्ट्र में मराठा समाज करोड़ों की संख्या में हैं, धनगर समाज भी लाखों की संख्या में हैं। एक महादेव कोली समाज है यानी फिशरमेन में भी एक कम्युनिटी है, जिसे महादेव कोली कहते हैं। ऐसे कई समाज हैं, जिनको आज भी आरक्षण नहीं मिला है। वहाँ के मराठा समाज, धनगर समाज, महादेव कोली समाज के लोग आरक्षण के लिए लोकशाही के मार्ग से आन्दोलन करते आ रहे हैं। मराठा समाज का आन्दोलन वर्ष 1980 से अभी तक चालू है। लाखों की संख्या में लोग लोकशाही के मार्ग से प्रदर्शन कर रहे हैं, आज तक शांति से उनका प्रदर्शन होता आ रहा है, इस तरह से इस देश में प्रदर्शन कभी हुआ नहीं था। उसमें दखलंदाजी नहीं हो रही है, वह नज़रअंदाज नहीं हो रहा है। करोड़ों की संख्या में जो ऐसे समाज के लोग हैं, जिनको आरक्षण देने की आवश्यकता है, जिस तरह से जम्मू-कश्मीर के सोशियली और एजुकेशनली बैकवर्ड कैटेगरी को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया, वैसे ही महाराष्ट्र के मराठा, धनगर और महादेव कोली समाज के लोगों की मांग है, जो उनका हक है, वह उनको मिलना चाहिए।

दुर्भाग्य से यह हुआ कि राज्य सरकार ने कई बार इसके लिए प्रयास किया, लेकिन यह उसके वश की बात है, ऐसा मुझे नहीं लगता है।

इस देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से विनती है कि महाराष्ट्र के मराठा, धनगर, महादेव कोली समाज और देश के कई हिस्सों में जो अन्य ऐसे समाज हैं, उनको न्याय देने के लिए आप सहृदय आगे आइए और उनको न्याय देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए संसद में बिल पारित करने की आवश्यकता है ताकि वहाँ के लोगों को न्याय मिले। आप उनको न्याय देने का काम करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है।

जम्मू-कश्मीर के बारे में मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर माननीय रेल मंत्री जी बैठे हैं।

भारतीय रेल के माध्यम से श्रीनगर और कटरा के बीच रेल लाइन का निर्माण करने का काम हो रहा है। कई पहाड़ों को खोदकर उनमें टनल तैयार करने का काम हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार, जिसे आश्चर्यजनक कहा जाएगा, यह है कि चेनाब रिवर के ऊपर सबसे बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा है। यह काम हमारे कोंकण रेलवे के माध्यम से हो रहा है। जब हम वहां गए, तो वहां के लोगों ने हमसे कहा। मैं उनके भरोसे के कारण बताना चाहता हूं। उन्होंने हमसे कहा कि जम्मू और कश्मीर, खासकर कश्मीर के लोग विकास के विरोध में नहीं है। जहां-जहां विकास होता है, वहां-वहां वे उसका समर्थन करते हैं। जब कोंकण रेलवे का निर्माण हो रहा था, तब ही कोंकण रेलवे ने कई पहाड़ों में टनल बनाकर कई गांवों को नजदीक लाने का काम किया। सैंकड़ों वर्ष के बाद जब वे गांव वाले इकट्ठा हो गए, तब उन्होंने कहा कि हमारे लिए ऐसा विकास आवश्यक है, ऐसे विकास का हम समर्थन करेंगे।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर) : सर**,** मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर नंबर - 372 है। आदरणीय डॉ. निशिकांत दुबे जी ने अपने भाषण में एक व्यक्ति के बारे में कहा कि ... और तब वे हटा दिए गए?। यह शब्द एक्सपंज होना चाहिए। ? (व्यवधान) उन्होंने अभी अपने भाषण में कहा। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैं देख लूंगा।

? (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय : सर, यदि बोला गया है, तो उसको हटा दिया जाए। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। आप प्लीज बैठ जाइए। यदि कुछ होगा, तो हम उसको देख लेंगे।

? (व्यवधान)

SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): Hon. Chairman Sir, Vanakkam, Thank you for this opportunity for allowing me to take part in the discussion on the Jammu and Kashmir Amendment Bill. The State of Jammu and Kashmir has been destroyed due to BJP Government?s craving for power. This Union Government is handling the issues relating to

Kashmir in a way that is against the Representation of People Act 1952 and the Constitution of India. As the Jammu and Kashmir Reorganisation Act is already pending with the Constitutional Bench of the Hon Supreme Court, it is improper to discuss on such a Bill in this august House. There is no elected Government in that Territory. Elections are not held and the voice of the people is not heard through their mandate in forming a Government of their choice and an Assembly for that purpose. It will be apt only when such motions should be first passed in the Legislative Assemblies of the two Union territories. Only then it should be brought to Parliament. While enacting the law for the bifurcation of Jammu and Kashmir State into two Union territories, Hon Union Minister of Home Affairs assured that elections will be held there very soon. But Elections were not held till now. When you say peace is prevailing in that State, I don?t understand as to why elections are not held there. Elections should be held as soon as possible in Jammu and Kashmir. I want to raise an important issue. Yesterday, my friend Shri Senthilkumar while taking part in this discussion, uttered a word inadvertently in this House. As the DMK Leader and Hon Chief Minister of Tamil Nadu reprimanded him for this utterance. Moreover the DMK Parliamentary Party Leader also reprimanded him and asked him to regret for the same in this House. Hon Member also regretted. At the same time, a Member of this House Shri Ramesh Biduri used offensive words against another Member of this House Shri Danish Ali such as ... affecting the sentiments of the minority people of this country. But there is no action against him till now for using such offensive words in this House. He has not even offered his apologies for usage of such words by him. This is partiality. There is a partiality in giving justice to the minorities and the majority group. There is a partiality in giving justice to the Ruling party and Opposition party. Sengol, the Sceptre is kept near the Chair of this august House. I am reminding you of that. I want to know what action this Government will take against Shri Biduri. Such laws should be brought only after an elected Government come in place in those Union territories. In the States and Union Territories ruled by Parties other than BJP, this ... BJP led Union Government is trying to put hurdles by using Hon Governor. I urge that Elections should be held soon there. In States like Tamil Nadu and Kerala, where the BJP is not in power, Hon Governors of these States are interfering in the affairs of the

smooth functioning of the State Government. This Union Government wants to run the administration non-BJP ruled States, in the backdoor, by using the powers of Hon Governor. This is a wrong precedence. It should be given up. Thank you Sir.

माननीय सभापति : ... शब्द रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

? (व्यवधान)

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Thank you, Sir. On behalf of my party All India Trinamool Congress, I rise to speak on the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023 and the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023.

Sir, before delving into the aspects of this Bill, I would like to share something. This year, I along with my daughter visited Kashmir and some parts of Ladakh. After crossing the Kargil War Memorial, when were approaching Kargil market, suddenly I noticed a big picture. When we went to the market, almost at every shop and at every nook and corner, I found that picture and that was not the picture of our hon. Prime Minister and hon. President but we found only one picture and that was the picture of Mr. Khomeini. We found not a single Tiranga jhanda there except in the military camp.

सर, यह कभी महसूस नहीं हुआ कि हम दोनों हमारे देश में हैं।

माननीय सभापति (Shri Rajendra Agrawal): बाकी जम्मू-कश्मीर में कैसा फील हुआ? उस स्थान को छोड़कर के बाकी जम्मू-कश्मीर में कैसा अनुभव हुआ? आपको वह भी बोलना चाहिए।

श्रीमती प्रतिमा मण्डल : सर, हमारी बात सुनिए।

सर, उसके बारे में भी बोलेंगे, लेकिन हमें बोलने तो दीजिए। जब मैं वहाँ गई तो कभी मुझे यह महसूस नहीं हुआ, कभी मैंने यह देखा भी नहीं कि वहाँ पर हमारा तिरंगा झंडा है। हमारे प्रधानमंत्री जी की या हमारे राष्ट्रपति जी की कोई पिक्चर है। वहाँ के किसी लोकल लीडर की पिक्चर भी वहाँ नहीं थी।? (व्यवधान) यह मुझे महसूस नहीं

हुआ। यह हकीकत है। हम भारत में हैं, वहाँ जाकर यह कभी महसूस नहीं हुआ। कल हमारे माननीय स्पीकर सर बोल रहे थे कि अनुच्छेद 370 का ऐब्रोगैशन होने के बाद सभी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स को कश्मीर भेजा गया था। हाँ सर, मैं भी स्टैंडिंग कमेटी के साथ गई थी। फिर एक दिन अचानक बहुत जल्दी हमारी मीटिंग खत्म हो गई। मैं और राज्य सभा के एक मेंबर, दोनों ने तय किया कि हम लोग सोनमर्ग घूमने जाएंगे। पहले तो उन्होंने ना किया। फिर एक घंटे बाद उन्होंने बोला कि ठीक है अरेंजमेंट हो गया है, आप जा सकते हो। हमारा अरेंजमेंट ऐसा था कि हमारी गाड़ी के सामने एक ब्लैक कलर की गाड़ी थी। उसका हुड खुला था, वहाँ पर एक फौजी राइफल लेकर उस पर सवार था। जब हम जा रहे थे तो सभी लोग हमारी उस गाड़ी की तरफ देख रहे थे कि यह कौन जा रहा है और कहाँ जा रहा है। जब मैं शाम को वापस होटल में लौट आई तब हमारी कमेटी के एक मेंबर ने बोला कि आप कहाँ गए थे? उन्होंने बताया कि यहाँ के जो माननीय राज्यपाल महोदय हैं, वे हमसे मिलने आए थे। वे आपके बारे में पूछ रहे थे कि इतनी शाम हो गई है, आप लौटे क्यों नहीं। मैं उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में पूछताछ की, लेकिन सर मैं एक स्टैंडिंग कमेटी के साथ थी, फौजी मेरे साथ था, मैं इतने लोगों के साथ थी, फिर भी मुझे वहाँ पर जाकर यह महसूस नहीं हुआ कि कश्मीर में शांति लौट आई है। जब मैं अकेली अपनी बेटी के साथ भी गई थी तब भी मुझे यह महसूस नहीं हुआ कि यह मेरा देश है और हम यहाँ आजादी से भयमुक्त होकर घूम सकते हैं। अगर कभी कोई सोचे कि चलो कश्मीर में घूमने जाते हैं तो उसके घरवाले उससे कहते हैं कि हमारे देश में इतनी सारी अच्छी जगहें हैं, तुम कश्मीर क्यों जाना चाहते हो और वे कहते हैं कि तुम किसी दूसरी जगह पर घूमने जाओ।

सभापति जी, यदि किसी फौजी की कश्मीर में ट्रांसफर हो जाती है, तो उसके परिवार के सदस्य यह सोचते हैं कि हमारे देश की किसी अन्य देश के साथ लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन क्या हमारा बेटा वापस लौटेगा या नहीं। हम रोज अखबारों में फौजियों के शहीद होने की खबरें पढ़ते हैं। डिमोनिटाइजेशन के बाद इस सदन में ट्रेजरी बैंच के कई सदस्यों ने कहा कि 2000 के नोटों का यूज कश्मीर में आतंकवादी बंदूकें खरीदने में कर रहे हैं। क्या आज आतंकवाद खत्म हो गया है? अनुच्छेद 370 को खत्म करते समय आपने इस सदन में बोला कि कश्मीर में एम्प्लायमेंट मिलेगा और बेरोजगारी खत्म होगी। इससे आतंकवाद भी खत्म होगा और कश्मीर में शांति लौट आएगी। क्वालिटी एजुकेशन ही उन लोगों को रोजगार दे सकती है और कश्मीरी लोगों के हाथों में जो जादू है वह पश्मीना शाल और लकड़ी के काम में देखने को मिलता है। ये चीजें देश में मशहूर हैं और ये विदेशों में भी मशहूर हो सकती हैं, यदि लोगों को पैसा देकर एनकरेजमेंट किया जाए। क्वालिटी एजुकेशन रोजगार दे सकती है और आतंकवाद भी दूर हो सकता है, इसके लिए एंटरप्रयोनोरशिप को मजबूत करना है। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के समय फारूख अब्दुल्ला साहब और मुफ्ती महबूबा जी तथा कई अन्य नेताओं की गृह बंदी की गई। गृह बंदी किसी मसले का हल नहीं है। हमें साथ मिलकर डिस्कशन करना चाहिए तभी कश्मीर में शांति होगी।

महोदय, इस सैशन के पहले दिन जब प्रधानमंत्री जी सदन में आए थे, तब सदन के सभी सदस्यों ने बहुत जोरदार से स्वागत किया। ऐसा होना ही चाहिए था, क्योंकि आपने तीन विधान सभाओं के चुनाव जीते हैं और हवा भी आपकी तरफ है। मैं जानना चाहती हूं कि कश्मीर में कब इलेक्शन होंगे? कश्मीर के सभी लोग यह चाहते हैं कि कश्मीर में शांति आ जाए लेकिन वहां कब इलेक्शन होंगे और कब वे अपने जनप्रतिनिधि चुनेंगे, यह जनता जानना चाहती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI (KURNOOL): Thank you, hon. Chairperson, for giving me this opportunity to speak on the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023.

The Amendment Bill proposes to increase the total number of Assembly seats from 83 to 90. It also proposes to reserve seven seats for Scheduled Castes and nine seats for Scheduled Tribes. The Bill ensures political representation of all communities within the region and also proposes allocation of Assembly seats for Kashmiri Pandits and migrants from Pakistan Occupied Kashmir. Henceforth, people can participate in democratic process and raise genuine issues of people in the Legislative Assembly. The Bill also authorises the Lieutenant Governor to appoint two migrant Kashmiri Pandits and one Kashmiri migrant of POK.

Sir, there are many positive aspects of the Bill. The historical blunders are being corrected. More than 40,000 families were affected since 1965. The Bill promotes inclusivity of all sections of Jammu and Kashmir, including migrant Kashmiri Pandits and migrants from POK because the horrific tales of people losing their ancestral homes, cultural identity and heritage are heart wrenching.

India suffered thousand years of slavery under various invaders. Residual British Raj attitude still exists in certain parts of India which should be taken care of by our hon. Prime

Minister. As a child, I used to ask my elders as to how 30 crore Indians were enslaved by a few thousand foreigners. After seeing the histrionics of various AC-room scholars, now it is clear that a few selfish Indians helped the invaders. Thank God India is blessed with great leaders like Shri Narendra Modi ji. Majority of Indians believe that Modi ji is a God?s gift to India.

Sir, this Amendment Bill can bring political stability which is essential in the strategically-sensitive Jammu and Kashmir. A fair representation of all sections of Jammu and Kashmir will certainly ensure political stability. The security of nation is also guaranteed with these measures.

Sir, there are a few suggestions regarding this Bill. The Government of India should emphasize on development and reconciliation. This approach aims to build trust and inclusivity among all communities of Jammu and Kashmir. It should promote dialogue and evolve a consensus. Various Standing Committees of Parliament, which visited Jammu and Kashmir since 2019, stated that the local Government is doing an excellent job.

14.00 hrs

It is essential to engage all the stakeholders, including the regional parties and the community representatives in a meaningful conversation. Consensual efforts on all issues will win the hearts of the people and guarantee a long-term peace.

Sir, to conclude, as per the *Economic Survey* of 2022-23, the GSDP of Jammu and Kashmir is likely to double in the next five years. The economic growth of 14.64 per cent and 1.88 crore tourists? visit to Jammu and Kashmir stand testimony to this fact.

We acknowledge the efforts of the Government of India towards political and social stability in Jammu and Kashmir. Things are moving in the right direction for Jammu and Kashmir and for India as a whole. The YSR Congress Party under the able leadership of hon. CM Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy appreciates the excellent work done by the Government of India in Jammu and Kashmir.

Sir, I take this opportunity to request the Government of India to implement all the promises made to Andhra Pradesh in 2014 during the discussion on the AP Reorganisation Bill. Special status may be granted to Andhra Pradesh.

We support these Bills, and we believe all the Bills related to Jammu and Kashmir are historical. Thank you, Sir.

Jai Hind.

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): सभापति महोदय, आपने मुझे दो महत्वपूर्ण विधेयकों - जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 ? पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इन दोनों विधेयकों के समर्थन में अपनी बात रखूंगा।

सभापति महोदय, 6 अगस्त, 2019 पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। उस दिन अनुच्छेद-370 को हटाकर, भारत के संविधान के जो कई प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होते थे, उन्हें लागू किया। जम्मू-कश्मीर में जो लोग हाशिए पर खड़े थे, उनको समानता का अधिकार मिला, भारत के कानून उन पर भी लागू हुए। भारत के ऐसे कानून, जो मानवता के आधार पर पूरे विश्व में माने जाते थे, वे कानून पहले जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं थे, लेकिन प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कदम के द्वारा अनुच्छेद-370 को हटाने का निर्णय किया, जिसे हम एक कठोर निर्णय कह सकते हैं। इसके माध्यम से उन्होंने देश में एक बहुत बड़ी पहल की। इससे भारत के अभिन्न अंग जम्मू-कश्मीर में विकास के रास्ते प्रशस्त हुए। अब हम देख रहे हैं कि उसके बाद वहां अभूतपूर्व विकास हुआ, एक सकारात्मक सोच का विकास हुआ और संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हुए। आज ये दोनों विधेयक यहां आए हैं, जिसमें एक पुनर्गठन का विधेयक है और दूसरा आरक्षण का है।

जहां तक पुनर्गठन विधेयक की बात करें तो इसमें ऐसे कश्मीरी विस्थापितों, जो कई कारणों से वहां से विस्थापित हुए हैं, उनके लिए इस बिल में नॉमिनेशन का प्रावधान रखा गया है। ऐसे पीड़ित लोग, जिन्हें उनकी राजनीतिक सोच के लिए, विचार के लिए माइग्रेट होना पड़ा, उनके लिए इसमें दो सीटों का प्रावधान रखा गया है, जिसमें एक महिला हो सकती है। पाक अधिकृत कश्मीर से डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के लिए एक सीट के नॉमिनेशन का प्रावधान रखा गया है। पूरे देश में शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षण था, लेकिन जम्मू-कश्मीर में शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग दशकों से हाशिए पर थे। उनके लिए वहां पर कोई प्रावधान नहीं था। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के मेरे साथियों

ने यहां बोला, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद जम्मू-कश्मीर में कभी भी इन्होंने अनुसूचित जनजाति के लिए चिंता नहीं की। इन्हें खड़े होकर यहां अपनी भूल को स्वीकार करना चाहिए कि जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों के साथ लगातार अन्याय हुआ। उन्हें जो फायदा मिलना चाहिए था, वह फायदा उन्हें नहीं मिल पाया।

यह स्थिति क्यों आई? क्योंकि हम देखते हैं कि वर्ष 1989 और 1990 के दशक में जिस हिसाब से आतंकवाद की वजह से जम्मू और कश्मीर के हिंदु, कश्मीरी पंडित, सिख और मुस्लिम समेत लगभग 1 लाख 58 हज़ार 976 लोग वहां से माइग्रेट हुए। यही नहीं उनके माइग्रेशन के अलावा पाकिस्तान आक्रमण के द्वारा सन् 1945, 1965, 1971 में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के क्षेत्र से करीब 41, 844 लोग माइग्रेट हुए हैं। इन लोगों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए आज जिस रीऑर्गनाइज़ेशन का इस बिल में प्रावधान किया गया है, क्योंकि उनको अपने पैतृक स्थान छोड़ने पड़े, अपनी जड़ों से दूर रहना पड़ा और उन्होंने लगातार इतने सालों तक जो पीड़ा सहन की, यह मानवता के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकवाद था। एक राष्ट्रवाद की भावना इन लोगों में थी तो इस वज़ह से एक परिसीमन आयोग गठित किया गया और उस आयोग ने यह अनुशंसा दी कि इन लोगों के साथ न्याय करने के लिए नॉमिनेशन का प्रावधान होना चाहिए। आयोग के मुताबिक 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए होनी चाहिए और 1 सीट पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के विस्थापितों के लिए होनी चाहिए, जो दशकों से यह पीड़ा झेल रहे थे। इसी तरह से 9 सीटें उन लोगों के लिए होनी चाहिए, जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं। यह प्रावधान कर के इस बिल के द्वारा बहुत बड़ी राहत इस वर्ग को पहुंचाई है। इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। पूरा देश उनका ऋणी है। पूरा जम्मू-कश्मीर उनका ऋणी है। जहां तक आरक्षण की बात करें, जम्मू-कश्मीर रिज़र्वेशन एक्ट, 2004 के इस बिल में अमेंडमेंट किया जा रहा है, उसमें अपॉइंटमेंट और एडमिशन का मामला है। एडमिशन का मामला प्रोफेशनल संस्थानों में है। वर्ष 2004 के एक्ट के द्वारा एससी, एसटी और सोशल एण्ड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज़ के लिए है। जम्मू-कश्मीर रीऑर्गनाइज़ेशन एक्ट के द्वारा मैं मानता हूँ कि यह रिज़र्वेशन एक्ट्स एप्लिकेबल हैं। लेकिन जम्मू-कश्मीर की विधान सभा अभी नहीं है, उस वजह से राष्ट्रपति के प्रोक्लेमेशन के द्वारा पार्लियामेंट को पॉवर है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है। यह कहना कि पार्लियामेंट को पॉवर नहीं है और लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। इसके साथ-साथ जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, वह सैक्शन 2 में इस अमेंडमेंट बिल के द्वारा किया जा रहा है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कनफ्यूज़न है। चूंकि सैक्शन 2 में एक कनफ्यूज़न ऐसा बना हुआ था कि उसमें वीक एण्ड अण्डरप्रिविलेज्ड क्लासेज़ वर्ड यूज़ था। यह जनरल पब्लिक में भी कनफ्यूज़न था। इस कनफ्यूज़न को हटाने के लिए अथॉरिटी जो सर्टिफिकेट यूज़ करती थी, उनके लिए भी कनफ्यूज़न था कि जो वीक एण्ड अण्डरप्रिविलेज क्लासेज़ हैं, उसका इंटरप्रिटेशन क्या दिया जाए? इसको हमने इस बिल के द्वारा, बेसिकली इसमें सोशल एण्ड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज़ कमीशन के द्वारा रिक्मेंडेशन है कि

इसको पैरिटी पर लाया जाए और इसको ओबीसी किया जाए, जिससे कि यह भारत के संविधान की स्पिरिट के रूप में हों।

महोदय, मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि जो पहले यह ? 2 बातें बताई गईं थीं कि रीऑर्गनाइज़ेशन की कॉम्पिटेंस पार्लियामेंट को नहीं है और इस रिज़र्वेशन बिल के लिए माननीय सदस्य, मनीष तिवारी जी ने जो स्टेटमेंट दी थी, वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 3 की बात बताई थी। आर्टिकल 3 इस बिल से रिलेटिड नहीं है। Formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states, इस बिल का स्कोप नहीं है, इसलिए यह लागू नहीं होता है और उनका कहना है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर सबज्यूडिस है, रीऑर्गनाइज़ेशन एक्ट की वैलिडिटी का है।

If it is a question of validity, Parliament is not precluded, Parliament is not powerless; Parliament is fully competent and powerful to enact any law. कोर्ट के द्वारा उस एक्ट को कहीं किसी रूप में स्टे नहीं किया गया है। अगर पार्लियामेंट में रिस्ट्रिक्शन है तो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 121 की है which deals with restriction on discussion in Parliament which says that ?no discussion shall take place in Parliament with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or the High Court in discharge of his duty except upon a motion presented and addressed to the President praying for the removal of the judge or as hereinafter provided?. इसके अलावा, भारत के संविधान में कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है, जो पार्लियामेंट को रोकता हो, इसलिए पार्लियामेंट भारत के संविधान के तहत फुली कॉम्पिटेन्ट है to enact the law as per Article 3 of the Constitution of India and as per Article 121 of the Constitution of India. Apart from that, there is no such provision in the Constitution which stops the Parliament from enacting such type of a law. इसीलिए, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गनाइजेशन (अमेंडमेंट) बिल और जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन (अमेंडमेंट) बिल पास करने के लिए पार्लियामेंट फुली कॉम्पिटेन्ट है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on these two Bills.

Sir, I am from deep South standing in front of you to speak for the topmost erstwhile Northern State of Jammu and Kashmir, and its reorganisation. This situation came into existence because of the already existing Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 dated 5.8.2019. But for that, today?s discussion is not required. I find a symmetry of actions or a pattern of actions by this Government in implementing things ? they first disorganise and then come for organising the same. That is what they are doing here. This is for the first time, perhaps, in Independent India that a State was bifurcated, reduced to the level of Union Territories and then we are now engaged in passing a Bill to reorganise this situation. I am at a loss to understand that under the same Constitution, for the last 70 years, the State was in existence and every action was going through. People of that State were safe and the borders were kept safe to a large extent. There is nothing much to say that there was a need to go for reorganisation of these things for the last 70 years. I would like to know from the hon. Home Minister, thanks to him that he is present over here during my presentation, what has compelled him to go for this situation. Where is the necessity for it? What went wrong?

14.14 hrs (Hon. Speaker *in the Chair)*

Every action here is happening like this. Article 370 has been removed. It is not that our forefathers, the Constitution-builders, those who built this nation, were not aware of the situation of what would happen to Article 370. Therefore, they have given a protective clause in this. When we talk about the procedure, they have made a clear provision for this State, which has been given special provisions, that the State will unite with the mainland completely and they have kept the doors open for it by giving such a procedure, and as per that procedure, the only thing, what you have done and what we did not accept, is that it should have been done through the will of the people. The will of the people is represented by a House like this. This will of the Kashmiri people was represented by the MLAs and the Legislative Assembly.

What you did on the contrary was, first, the Government was pulled down for various reasons. Then, the Assembly was closed. Then, a Governor was nominated over there. Who is the Governor? He is your representative, the Union representative even if you take it legitimately. His opinion is taken and you have brought the Bill on 5th August, 2019. You take anything for that matter. Demonetisation was done in a great hurry. No procedure was followed. No Cabinet meeting was there for such a big thing. What have you achieved through that? Nothing, simply nothing. You have only destroyed the economy of this country. Even today, the beating given by demonetisation is in existence. Even the economy has not been repaired. What was the need? You said there were three reasons. I take one of the reasons ? I leave the rest for the time constraint ? that black money will be curtailed. There would not be any black money available for the Pakistanis and other people across the border. This would help to establish peace in this country had it happened in the first place. Is there no counterfeit currency available in the country today? Through this demonetisation, we have achieved nothing but seeing people die at the gates of the banks. You talked about women?s reservation. When will women?s reservation actually happen? It will happen in 2031. The 84th Amendment of the Constitution clearly says that any delimitation, any adjustment of seats, any creation or decrease in seats can be effected if and only if a Census was taken at the earliest after 2026. So, it will be in 2031. Today, you are talking about reorganisation; you are talking about creation of seats; and you are talking about reservation. I am here for all sorts of reservation in this country because I myself stand in this place because of the benefits of reservation. Otherwise, I would not have had the opportunity to enter this House and stand before you all to speak my mind over here. Any reservation which is required in this country should be given and the people should be helped. One Member of the House said that the Congress Party was not for reservation for tribal people, they can celebrate Deepavali again in their house and all. When has the Congress Party objected to any reservation in this country? When was it? Out of all the reservations in the globe, the largest amount of reservation has been created by the Congress and the Congress Party only. There is 22.5 per cent of reservation for the SCs

and STs. Also, as regards EWS reservation, we were party to it and we approved it, though I have some reservations about EWS. Therefore, Sir, whether the 84th Amendment is taken into consideration or not is a point of discussion because before 2026 nothing can be done unless and until you go in for amendment of the Constitution. Three or four amendments are required to do this.

Thank you very much for the opportunity given to me, Sir.

श्री रवि शंकर प्रसाद (पटना साहिब): माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत अनुगृहीत हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर अपने विचार रखने का मुझे अवसर दिया है। बिल की पृष्ठभूमि क्या है, वह बता दी गई है। अगर एक वाक्य में कहा जाए तो 70 सालों में जिनकी आवाज नहीं सुनी गई, आज इस बिल के माध्यम से उनको आवाज दी जा रही है, चाहे वे पीओके से आए हुए हों, चाहे वे आतंकवाद से विस्थापित हों, चाहे वे 1965, 1971 की लड़ाई के विस्थापित हों। जिनकी कोई आवाज नहीं थी, डीलिमिटेशन कमीशन ने उनकी आवाज सुनी, अनुशंसा की। मैं माननीय गृह मंत्री और प्रधान मंत्री जी का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, उनको वह सम्मान देंगे, जो आज तक नहीं दिया गया।

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने उधर के मित्रों से कमाल की बहस सुनी। थोड़ा कानून का छात्र मैं भी हूं। यह कहा गया कि यह बिल आप क्यों लेकर आए हैं? यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोई स्टे है क्या? लोकल बॉडी का इलेक्शन हुआ, बीडीसी काउंसिल जीते, ग्राम पंचायत के सरपंच जीते, तो क्या आपने कहा कि इसको रोक दीजिए? आज हजारों करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट हो रहा है, कश्मीर में विकास हो रहा है, तो क्या आपने कहा कि स्टे कर दीजिए? क्योंकि वह आपकी हिम्मत नहीं है, आपने स्टे के लिए प्रार्थना की, लेकिन कानून रुका नहीं है। फिर भी कहा जा रहा है कि आप क्यों ला रहे हैं, यह ठीक नहीं है। कहा गया कि कन्टेमप्ट ऑफ कोर्ट है। यह कन्टेमप्ट ऑफ कोर्ट की नयी परिभाषा है। मुझे देखना पड़ेगा कि यह महाज्ञान कहां से आया? क्या यह सार्वभौमिक संसद को कानून बनाने का अधिकार है या नहीं है, यह बड़ा सवाल है? कन्टेमप्ट की बात की जा रही है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो कानून जानते हैं, उनके द्वारा यह कहना ठीक नहीं है। यह भी कहा गया कि आप कैसे कर रहे हैं? आर्टिकल 1 में प्रावधान है, मैं अपने मित्रों से कहूंगा कि आर्टिकल-2 भी पढ़ लें। संसद को अधिकार है कि नया प्रदेश जोड़ सकती है या बांट सकती है। क्या यह पहली बार हुआ है, उस पर भी सवाल किया जा रहा है।

एक बात का मुझे सदन में स्पष्टीकरण देना बहुत जरूरी है। हमारे अंतरंग मित्र मनीष तिवारी जी ने एक बात कही, कश्मीर में जब लड़ाई हुई थी, उसमें जब युद्ध विराम हुआ था तो वह नेहरू जी को सेना की एडवाइस थी। उन्होंने बुशर साहब, जो उस समय सेना के जनरल थे, उनकी बात कही। मैंने इस बारे में पूरा कागज निकाला है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, उसी में लिखा हुआ है, मैं कोट कर रहा हूं: ?? I am authorized, on behalf of the Government of India, to negotiate for a ceasefire ??. पाकिस्तान के जनरल को कह रहे हैं, यह कैसे कहा गया कि उनके एडवाइस पर किया गया। मेरे पास भारत पाकिस्तान से बाकी लड़ाइयों का मिलिट्री रिकार्ड है। वैरियर कॉलेज के असोसिएट प्रोफेसर रोहित सिंह ने लिखा है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि सेना को मुजफ्फराबाद की तरफ जाना था, लेकिन यकायक पॉलिटिकल एडवाइस ऐसी आई कि इसको रोक दें।

मैं सदन में बड़े विनम्रता से कहना चाहूंगा कि साढ़े पांच सौ से अधिक रियासतों में एक को छोड़ कर सभी माननीय सरदार पटेल जी ने हैंडल किया, वहां कोई समस्या नहीं है, आज वह भारत का अंग है। एक नेहरू जी ने हैंडल किया, वहां आज तक समस्या है। हम यह क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलना चाहिए? सॉरी, समस्या थी, जो 2019 में खत्म हो गई। मेरे पास वी.शंकर की सरदार पटेल के अनुभवों की किताब है, वह उनके सेक्रेटरी थे। जब धारा 370 का मामला हुआ तो सरदार पटेल लौट कर घर आए, सर, आपने क्या कर दिया, कांग्रेसी विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो, यदि जवाहरलाल नेहरू मीटिंग में होते तो मैं विरोध करता, गोपाल स्वामी अयंगर कह रहे हैं कि नेहरू जी की प्रतिष्ठा की बात है और वह अमेरिका में हैं तो मैं क्या करूं? जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो सरदार पटेल ने एक बात कही, न शेख अबदुल्ला परमानेंट है, न आर्टिकल 370 परमानेंट है, जिस दिन एक बहादुर सरकार आएगी, यह समाप्त हो जाएगा। यह सब रिकार्ड की बात है, मेरे पास सब कागजात हैं। जब एक बहादुर, साहसी और लोकप्रिय नेता नरेन्द्र मोदी जी आते हैं और कुशल गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं, आज देखिए, धारा 370 इतिहास हो गया।

मैं बहुत संक्षेप में दो-तीन बातें कहना चाहूंगा, लोग पूछते हैं, ?Why?? हमारा कश्मीर से भावनात्मक लगाव है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। याद कीजिए, मैं इस सदन में कहना चाहूंगा, 51 साल की उम्र, एक ब्रिलिएंट बैरिस्टर, उनके पिताजी आशुतोष मुखर्जी कोलकाता हाई कोर्ट के महान जज थे, लोग आज तक उनके निर्णय याद करते हैं। 33 साल की उम्र में वह बैरिस्टर बनते हैं, उस समय जनसंघ के अध्यक्ष बने। उन्होंने कहा कि मैं बिना परमिट के कश्मीर जाऊंगा, अपने यंग सेक्रेटरी को कहा कि जाओ कहो कि मैं बिना परमिट के घुस गया। उस यंग सेक्रेटरी का नाम अटल बिहारी वाजपेयी था। वह मई में गिरफ्तार होते हैं और जून में उनकी संदेहास्पद परिस्थितियों में देहावसान होता है। यह हमारा इतिहास है कि देश की एकता और अखंडता के लिए हमने अपने सर्वोच्च नेता का बलिदान किया। इसका ध्यान रखा जाए।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये लोग कश्मीर की कश्मीरियत की बात किसके लिए करते हैं, धारा 370 के लिए? मुझे दो बार कश्मीर की यात्रा करने का सौभाग्य मिला। मैं आज हाउस में कहना चाहता हूं, राजनाथ जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, यहां जितेन्द्र सिंह जी बैठे हैं, पता नहीं, वह भी इस कमेटी में थे, नंदा जी भी थे, हम 16 या 17 बार कश्मीर गए थे। हमें वहां लोगों ने कहा कि हम पहाड़ी मुसलमान हैं, हमारी तुलना उनसे मत कीजिए, हमारे पुरखों ने भारत की सेना को वर्ष 1948 में रास्ता दिखाया था। उन्होंने कहा - हम गुर्जर बक्करवाल हैं, हम भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जाती है। डल लेक के आसपास मछुआरे बहुत हैं लेकिन उनको बैकवर्ड क्लास का कोई आरक्षण नहीं मिला। उनको कहा जाता है कि बस, हमसे सवाल न पूछो, खाली मरकज़ से पैसा लाओ, हिसाब मांगोगे तो धारा 370 है, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करोगे तो धारा 370 है। वहां आम आदमी की बात की कोई सुनवाई नहीं थी, यह सच्चाई है। जब धारा 370 समाप्त हुई तो उस समय माननीय प्रधान मंत्री जी के आदेश पर हमें वहां जाने का मौका मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम वहां के नौजवानों से मिले और बड़े लोगों से मिले। उन्होंने कहा ? जनाब, हमें सच्चाई बताई नहीं गई, ये जो अलगाववाद की बात करते हैं, पत्थर फिंकवाते हैं, उनके बच्चे अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ते हैं और हमारे स्कूल जलते हैं। यह उन्होंने हमसे कहा। मैं नौजवान बच्चों से मिला, उन्होंने कहा ? आईआईटी खुल रहा है, एम्स खुल रहा है लेकिन हमें बताया क्यों नहीं गया।

सर, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। मुझसे जम्मू में हिंदू लड़की मिली, वह ऑल इंडिया सर्विस की अफसर थी। उसने कहा कि मैं सबसे अधिक कृतज्ञ नरेन्द्र मोदी जी की इसलिए हूं क्योंकि मेरी शादी एक हिंदू से हुई है, जो कश्मीर से बाहर का है। मैं सारी संपत्ति में अपना दखल खो बैठी हूं क्योंकि मैंने एक गैर-कश्मीरी से शादी कर ली है। अब धारा 370 समाप्त होने के बाद पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, अवसर मिलेगा और यह हो रहा है।

महोदय, उसी यात्रा में हम विस्थापितों के कैम्प में गए थे। उनको देखकर हमें रोना आ गया लेकिन आज उनकी पीड़ा सुनी गई है। मैं बताना चाहता हूं कि उनके टूटे-फूटे टैंटों में पानी लीक कर रहा है। वे बोले कि सन् 1947 से डिस्प्लेस होकर आए हैं, क्या यही हमारी पीड़ा है कि हम कश्मीर में रह गए? उन्होंने एक बात कही कि मनमोहन सिंह पंजाब चले गए तो भारत के प्रधानमंत्री हो गए, गुजराल साहब पंजाब चले गए तो भारत के प्रधान मंत्री हो गए, आडवाणी जी कराची से चले गए तो भारत के उप-प्रधान मंत्री हो गए। हमने नेहरू जी पर विश्वास किया और कश्मीर में रह गए, लेकिन हमें आज तक नागरिकता नहीं मिली। ऐसा क्यों है? यह दृश्य क्यों छिपाया गया? यह कानून उसका जवाब देता है। मैं बार-बार सुन रहा था कि ये दो कानून क्यों लाए हैं? इसका क्या मतलब है? गुर्जरों को, बक्करवालों को, हिंदू विस्थापितों को, माइग्रेंट्स को, सन् 1965 और 1971 में पीड़ित लोगों को अगर आवाज़ नहीं देंगे तो फिर लोकतंत्र समावेश कैसे होगा? जब हम कहते हैं ? सबका साथ, सबका विकास, तो सबको जम्हूरियत में अवसर भी मिलना चाहिए, यह हमारी सोच है।

महोदय, अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, दूसरे कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? पिछड़ों को अगर कुछ देना है तो देश में सोशली और इकोनामिकली बैकवर्ड की जो परिभाषा है, उसी को तो इसमें इनक्लूड किया है।

महोदय, यह बहुत सराहनीय कानून है, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं। मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं, माननीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। आपसे एक गुजारिश है कि अब तो सच्चाई को देखिए 69 साल से सच्चाई नहीं देखी इसलिए आप लोग कहां आ गए और हम कहां पहुंच गए, यह भी तो आप देख रहे हैं। परसों भी तो देखा है और वर्ष 2024 में भी देखिएगा। अभी भी समझेंगे, सोचेंगे तो भला होगा। धन्यवाद।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय अध्यक्ष जी, कल से सदन में दोनों बिलों पर चर्चा हो रही है। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि पूर्व कानून मंत्री, रविशंकर जी, एक और कानून मंत्री किरेन रिजूजी जी और कल एक और मंत्री थे जो कि हर बात पर नेहरू जी की बात लेकर सदन में आते हैं और नेहरू जी के खिलाफ आलोचना करते हुए सोचते हैं कि अपनी सारी बात ? (व्यवधान) कल जितेन्द्र सिंह जी भी थे। जब हम कुछ अलग बात पूछ रहे थे तो सब घुमाफिराकर नेहरू जी पर आ जाते हैं।

हम 70 साल-70 साल सुनते-सुनते थक गए हैं। मैं अमित शाह जी और सारे मंत्रियों से गुजारिश करता हूं कि यह सदन चलते-चलते एक दिन ऐसा हो, जिसमें कश्मीर और नेहरू जी, उनकी गलती, उनके सच पर खुले-आम चर्चा की जाए। मैं आपको चुनौती देता हूं।

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): अधीर रंजन जी, आप दरख्वास्त दें, हम तैयार हैं। ? (व्यवधान) मैं तो अभी चर्चा करने के लिए तैयार हूं।

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैंने अपनी दरख्वास्त दे दी है।

माननीय अध्यक्ष : आपने अभी दरख्वास्त नहीं दी है।

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मैंने अपनी दरख्वास्त अभी वर्बली दे दी है। ? (व्यवधान) मुझे थोड़ा बोलने दीजिए। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कहावत थी, जिसे वाजपेयी डॉक्ट्रिन कहते हैं। ? कश्मीरियत, जम्हूरियत, इंसानियत? का आप पालन करते हैं या नहीं, आप खुद तय करें। हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आप लोगों को यह सलाह दी थी कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी हम मिटाकर रखेंगे। क्या दिल की दूरी चली गई है? आप खुद तय कर लीजिए। Now, it is time to have some sort of introspection insofar as Kashmir is concerned. हमारे गृह मंत्री जी ने उस समय सदन में कहा था कि

कश्मीर की बात छोड़ो, पीओके, सियाचिन, सबके लिए मैं जान देने के लिए भी तैयार हूं। आप जिंदा हैं, आपको जान नहीं देनी पड़ी। आपने यह भी कहा था कि एप्रोप्रिएट समय पर चुनाव होंगे। बताइए, क्या मैंने कोई गलत बात की? यह मुद्दा जेरीमेंडरिंग करने के लिए है। यानी चुनाव जीतने के लिए नए-नए तरीके आप अपनाते हैं। आपने सोचा था कि लोकल चुनाव तो कराते हैं, लेकिन लोकल चुनाव में आपको हार निश्चित है। उससे बचने के लिए आप नए-नए तरीके अपनाते हैं। इसे ही जेरीमेंडरिंग कहते हैं। अमित शाह जी, आपने वायदा किया था कि कश्मीर में अमन लाएंगे, शांति लाएंगे, लेकिन जो वायदा किया था, उसे निभाना भूल गए। लोगों के मन में उम्मीद की आग जलाई थी, लेकिन उसे बुझाना भूल गए। आपकी यही समस्या है। अभी रविशंकर प्रसाद जी वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में कह रहे थे। आप बराबर चाहते हैं कि नेहरू जी के साथ वल्लभ भाई जी की दरार किसी भी हालत में पैदा की जाए। Sardar Vallabhbhai Patel, whose legacy the BJP has now appropriated to discredit Nehru, tried to convince Liaquat Ali Khan in the Partition Council to take Kashmir and leave Hyderabad-Deccan. In her book, `Kashmir in Conflict?, Victoria Schofield says that even Mountbatten?s political adviser Sir Conrad Corfield recommended a barter but anything that Corfield said carried no weight against the long-standing determination of Jawaharlal Nehru to keep Kashmir in India. इतिहास गवाह है कि उस समय अगर घाटी के मुसलमानों ने शेख अब्दुल्ला की अगुवाई में तथा नैशनल कांफ्रेंस ने उस समय सहायता न की होती, तो कश्मीर को हमारे साथ रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता था।? (व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, history should not be distorted. ? (*Interruptions*) I would like to say that let the book that Adhir Ranjan Choudhary referred to be placed on the Table of the House. I would like to repeat that history should not be distorted, especially in this House. The person who had written that book, what are her antecedents? Who is she? Is she a research scholar? When we are referring to Sardar Patel, what format actually has she quoted? From where did she get the information that Liaquat Ali Khan was told by Patel in that manner? If that record is there, let that be placed in the House. ? (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Your loyalty or allegiance to the Ruling Party must be appreciated. That is a different issue. ? (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। स्पीकर के डायरेक्शन 115 में, यदि कोई मेम्बर गलत बात कर रहा है तो किसी मेम्बर को उसको सुधारने का अधिकार है । अभी इन्होंने कश्मीरियत की बात कही है। नया कश्मीर और कश्मीरियत शेख अब्दुल्ला के बाद का नारा था। वह अटल बिहारी वाजपेयी का नारा कभी नहीं रहा है। यह उनका क्वाइन है। ? (व्यवधान)

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): वह जम्हूरियत और इंसानियत के लिए था। ? (व्यवधान)

In the same way, you are to be corrected. ? (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे : जम्हूरियत और इंसानियत अलग चीज है। कश्मीरियत और नया कश्मीर शेख अब्दुल्ला का नारा था। ? (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी (आनंदपुर साहिब): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात इस सदन को बताना चाहता हूं कि जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी अप्रैल, 2003 में श्रीनगर गए थे, चुनाव हो गया था, वहां पर मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार बन गई थी तो उन्होंने कश्मीरियत, इंसानियत और जम्हूरियत का नारा दिया था। मैं वर्ष 2003 की बात कर रहा हूं। यह कहना कि कश्मीरियत की बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं की थी, यह आप श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो लिगेसी है, उसके विरुद्ध बात करते हैं। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, आप बोलिए।

? (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : रवि शंकर प्रसाद जी, आप बहुत बड़े कानून मंत्री रहे हैं, यह हम सब जानते हैं। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो, अधीर रंजन जी आप बोलिए।

? (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : रवि शंकर प्रसाद जी, मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं। ? (व्यवधान) आप सुनिए। Former External Affairs Minister Yashwant Sinha हमारी पार्टी के तो नहीं थे। He said, ?It was a mistake, but think also of what would have happened if India had not. What if Pakistan had gone to the UN first?? यह मैंने नहीं कहा, ये यशवंत सिन्हा जी के बयान हैं।

आप देखिए कि हरि सिंह के साथ स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट पाकिस्तान ने किया था। हिन्दुस्तान ने जवाहर लाल नेहरू की अगुवाई में उसको नहीं माना था। क्या यह गलत है? आप एक काम कीजिए, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी राजी हो चुके हैं। चलिए, नेहरू देश के लिए हानिकर हैं और आप देश के लिए कल्याणकारी हैं, दिनभर ? (व्यवधान)

श्री अमित शाह: अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। ? (व्यवधान) मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि नेहरू हानिकारक हैं इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने यही कहा है कि कश्मीर समस्या का मूल कौन था और कैसे था। इसमें उस वक्त के सभी लोगों का रोल क्या था, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ? (व्यवधान)

हमारी बेंचेज़ से कोई नहीं कहता है कि नेहरू हानिकारक थे। मगर अब ये ही कह रहे हैं कि नेहरू हानिकारक थे, तो हम क्या कर सकते हैं?

श्री अधीर रंजन चौधरी : ये आप कह रहे हैं। Pandit Jawaharlal Nehru has been treated by you as a whipping boy to heap up all allegations upon his shoulder. This is ironical to note. पंडित नेहरू जी की वजह से आज देश कहां से कहां आ पहुंचा है। आइए न, एक दिन सदन में इसकी चर्चा की जाए। हम लोग यह नहीं कहते हैं कि हमने सब कुछ कर दिया है, लेकिन सुनिए, spare your words, your actions will speak for it.

ये सारी कानूनी बात तो हो चुकी है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप कश्मीर में दावा करते हैं, गर्व से कहते हैं कि हमने ग्रामीण चुनाव कराया है, अर्बन चुनाव कराया है, ये किया है, वो किया है। अगर इतने चुनाव कराए हैं, तो फिर आपको विधान सभा का चुनाव कराने में क्या दिक्कत थी? आपको एक के बाद एक कानून लाने की क्या जरूरत थी? आप चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर विधान सभा चुनाव में आपकी जीत निश्चित हो, इसलिए ये सारी कार्रवाई चल रही है। इसको इलेक्टोरल जैरीमेंडरिंग कहते हैं। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ताकि जम्मू-कश्मीर विधान सभा के चुनाव में आप जीत हासिल कर पाएं।

अमित शाह जी, आप बताइए। As per a report by the Forum of Human Rights in Jammu and Kashmir, between 2019 and 2022, 71 CRPF troops lost their lives, doubling the toll from the preceding four years from 2014 to 2018 during which 35 fatalities occurred. ये सही है या गलत है?

Between April, 2023 and November, 2023, a total of 23 army and security personnel have lost their lives. On 9th August, 2023, the Ministry of Home Affairs reported to Rajya

Sabha that between 2018 and 2020, Jammu and Kashmir experienced 761 terrorist incidents which resulted in 174 civilian deaths. The highest number of 228 attacks occurred in 2018 causing 40 civilian casualties. As per a reply in the Rajya Sabha, 99 security personnel were killed in Jammu and Kashmir between August, 2019 and April 2022. In the preceding five years, 460 security personnel were killed. According to RTI reply, the number of terrorist incidents has only increased after the abrogation of Article 370, increasing from 151 incidents in 2014 to 191 incidents till August, 2022. आप बताइए कि क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं**?** आप अपने जवाब में जरूर बताइएगा। मैं आपके समक्ष आंकड़े पेश कर सकता हूं।

वर्ष 2014 में 151 घटनाएं घटित हुईं। In 2018, the number of incidents was 417. In 2020, the number of incidents was 244. In 2022, till August, the number of incidents was 191. Forty Jawans were martyred in Pulwama attack in 2019. It was the deadliest attack in three decades, which according to the former Governor Shri Satya Pal Malik was avoidable and was due to the Government?s incompetence. क्या हमने कहा? सत्यपाल मलिक जी तो गवर्नर थे। आप उनको तो नकार नहीं सकते हैं। इस वजह से बालाकोट की घटना भी हुई। अगर हमारी कोई सवाल पूछने की दिलचस्पी हो, तो तुरंत हमें एंटी नेशनल बना देते हैं। देखिए, जो जगजाहिर होता है, उस बारे में तो चर्चा होगी।

सन् 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की अगुआई ने हमारी जांबाज़ फौज ने पाकिस्तान को हराया था, बांग्लादेश को गठित करने में मदद की थी और 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को हिरासत में लिया था। उसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ। सब जगजाहिर है। अगर बालाकोट के बारे में कुछ पूछा जाए, तो तुरंत हम एंटी नेशनल बन जाते हैं। हमें हमारी जांबाज़ फौज पर पूरा भरोसा है। बालाकोट की वजह से उस समय हमारे हेलीकॉप्टर और हमारे ऑफिसर्स को भी शहादत देनी पड़ी थी।

यह सब तो जगजाहिर है। अगर सवाल किया जाए और जानने की दिलचस्पी हो तो वह गलत नहीं है। आप यह बताइए कि सत्यपाल मलिक ने जो कहा है, क्या वह गलत कहा है? Despite claims of reduced terrorist attacks, information from the Ministry of Home Affairs reveals that between August, 2019 and July, 2022, the region witnessed an average 3.26 terror attack casualties per month compared to 2.8 casualties in about five years preceding the abrogation.

अमित शाह जी, मैं आपको एकदम रीसेंट घटनाएं बता रहा हूं। आप राजौरी एनकाउंटर के बारे बताइए। वहां अनंतनाग एनकाउंटर हुआ या नहीं? वहां कुलगाम टैरर अटैक, राजौरी अटैक और पुंछ अटैक हुआ। हां, घाटी में

जरूर कमी आई, लेकिन पीर पंजाल के पार चिनाब वैली, जम्मू रीज़न अब तक तो शांत था, लेकिन वहां इस तरह की घटनाएं क्यों घट रही हैं? आपने वादा किया था कि टेरेरिस्ट खत्म हो जाएंगे, विकास होता रहेगा, लेकिन यह क्यों हो रहा है? यह सवाल पूछना कोई अन्याय तो नहीं है। हम यह सवाल पूछते हैं। आपने कश्मीरी पंडितों के बारे में वादा किया था। हमारे खिलाफ एक इल्जाम लगता है कि हमारे लिए कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। आपको यह जानकारी जरूर होगी कि वीपी सिंह के जमाने में आपके समर्थन से वीपी सिंह सरकार बनी थी, क्या उस समय कश्मीरी माइग्रेंट का पलायन नहीं होता था? आप यह बताइए। आप सारे इल्जाम हम पर क्यों लगाते हैं? आप लोगों को हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव देखना चाहिए। आप हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव नहीं देखते हैं, आप लोगों की यही गलती है।

आप सेफ्टी ऑफ कश्मीरी पंडित के मुद्दे पर आइए। Launched in 2008, the Prime Minister?s Rehabilitation and Return Scheme offered Government jobs to Kashmiri Pandits in order to facilitate their return to Kashmir. Over 6000 Kashmiri Pandits have taken employment under the Scheme and migrated to the valley. However, the targeted killings of individuals like Mahesh Bhatt and Rajini Bala in 2022 prompted many beneficiaries of the scheme to flee from Jammu. Consequently, the JK Administration issued orders to suspend the salaries of Kashmiri Pandit employees who had left the valley. In February, 2023, the Administration issued a directive specifying that salaries would only be released for migrant Kashmiri Pandit employees who had resumed their duties in Kashmir. The Government tried to avoid another exodus of Kashmiri Pandit as it will tarnish the image of BJP and it is the Party that ostensibly champions the cause of the Pandits. वहां भय का माहौल तो है। आप बचा नहीं पाते हैं। पलायन अभी भी जारी है। आप स्टाइपेंड नहीं देते है। वहां टारगेटेड किलिंग अभी भी होती है, लेकिन आप यह मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। आपने कश्मीर का क्या किया, आपने कश्मीर को खाप पंचायत बना दिया। वहां एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भेज दिए और उनके साथ कुछ ऑफिसर्स हैं, वे जो मर्जी होगी करते हैं। आपने सारी क्षमता केन्द्रित कर ली है। लगभग 6 साल गुजर चुके हैं, लेकिन चुनाव नहीं हो रहे हैं। क्या चुनाव कराने की मांग करना अपराध है? हम आप लोगों से चुनाव कराने की मांग करते हैं। कश्मीर में शांति बहाली हो, यही तो हमारी भी मांग है, लेकिन यह नहीं होता है, इसलिए हमारी परेशानियां बढ़ रही हैं। आपको परेशानी न होती हो, लेकिन हमें परेशानी होना वाजिब़ है, क्योंकि कश्मीर हमारे देश का क्राउन है।

आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, अभी रवि शंकर प्रसाद जी ने कहा कि इतने लाख करोड़ है और कल जीतेन्द्र सिंह जी बोल रहे थे कि वहां करोड़ों रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है। मैं आपको बताता हूं। MHA data from

December, 2022 shows that investment in JK fell 55 per cent in four years. The abrogation year was the worst as per MHA data. Investment fell to Rs. 376.76 crore in 2021-22 from Rs. 840.55 crore in 2017-18. While LG has mentioned proposals worth Rs. 66,000 crore, in reality, the MoS Home mentioned that only Rs. 1547 crore worth of investments have been made in the UT. In March, 2023, Emaar invested 60 billion USD. This announcement comes after almost four years since the abrogation of Article 370 and is the only foreign investment to be announced so far.

जहां होते हैं, वहां शिकायत करते हैं, जहां नहीं है, वहां के लिए भी आपको सुनना पड़ता है और आपको सुनना चाहिए। आप रोजगार की बात बड़े जोर-शोर से यहां कर रहे हैं।

As per the Kashmir Chamber of Commerce and Industries, economy suffered a loss of nearly Rs.18,000 crore in four months after the abrogation of Article 370. Jammu and Kashmir ranked 21st among 36 States in Ease of Doing Business Survey of 2020. Despite the identification of 33,426 vacancies in the Government of Jammu of Kashmir, only 25,450 vacancies have been filled in December, 2020. This suggests that a significant number of posts still remain unfilled.

The Government has failed to fulfil their promise of 50,000 jobs for Kashmiris in various Government Departments. In February, 2023, the reply to a parliamentary question shows that while vacancies are being identified and advertised, the process of filling these vacancies is not immediate. This could result in a time lag between vacancy identification and actual employment.

According to the Period Labour Force Survey of 2022-23 conducted by the National Sample Survey Office, the estimated unemployment rate among individuals aged between 15 and 29 years in Jammu and Kashmir was 13.7 per cent. एजुकेशन का भी वही हाल है।

Prevalence of anaemia in children between six to 59 months of age increased from 53.8 per cent in 2015-16 to 72.7 per cent.

इसीलिए कहता हूं कि सदन के अंदर हां को ना और ना को हां करने में आप लोग माहिर हैं। इस बात को आप कभी-कभी जरूर मानते हैं। सफेद को काला और काले को सफेद करने में आप लोगों की बहुत स्किल है, बड़ी चतुरता है। लेकिन असलियत तो यहां पता चल गयी है। आप लोग एक चुनाव में जीते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपने दुनिया जीत ली है। आम लोगों के वोट किसी की जेब के अंदर कोई फिक्स्ड डिपोजिट नहीं है। जेब के अंदर फिक्स्ड डिपोजिट नहीं है आम लोगों के वोट, यह मान के चलिए। आज जीत हुई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कल भी जीत सुनिश्चित है। आप यह मान के चलिए। ज्यादा अहंकारी मत बनो, क्योंकि यह अहंकार आप लोगों को फिर धूल चाटने पर मजबूर कर देगा। आप यह जो दो विधेयक लाए हैं, इसमें एक बड़ी चतुरता है। जम्मू में ज्यादा सुविधा दो और कश्मीर में सुविधा में कटौती करो और सारे पॉप्युलेशन के अंदर एक भेदभाव पैदा करो, यही तो है आपका मकसद। आपने 35ए तो हटा दिया है, लेकिन डोमिसाइल के लिए जम्मू में भी मांग उठ रही है, लद्दाख में भी मांग उठ रही है, क्या इसका कोई जवाब आपके पास है? इसीलिए मैं कहता हूं कि आप यह जो बिल लाए हैं, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। आप बिल ला सकते हैं, लोगों को सुविधा जरूर दीजिए, लेकिन असलियत को छुपाना नहीं चाहिए। अगर असलियत को छुपाते रहेंगे तो आज नहीं तो कल देश आपको जरूर यह कहेगा कि इन्होंने हमें धोखा दिया है। हम यह बात रखते हुए कहते हैं कि अमित शाह जी ने यह कहा है कि जवाहर लाल नेहरू के मुद्दे पर सारे दिन चर्चा होना जरूरी है। मैंने यह पेशकश की है और उन्होंने मान ली है। चलिए, एक दिन, दिनभर यह चर्चा हो कि किसने क्या और कैसे किया है, यह लोगों को पता चले। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Mr. Speaker, Sir, please allow me to speak.

माननीय अध्यक्ष : आप कल लिखकर देते तो हम आपको बोलने के लिए बुलाते।

सरदार सिमरन जीत सिंह मान : सर, मैंने लिखकर दिया है।

माननीय अध्यक्ष : मेरे पास नहीं आया है। आपने अभी कहा है। आपको अगले बिल की चर्चा में बोलने का मौका देंगे।

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक, 2023 पर इस सदन में जो बहस हुई है, उसका जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मुझे एक बात का आनन्द भी है और यह हमारी संसदीय प्रणाली के लिए अच्छा भी है कि किसी ने इस बिल के तत्व का विरोध नहीं किया है, इस बिल के हृदय का विरोध नहीं किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, लगभग 6 घंटे तक चर्चा चली है और कांग्रेस के डॉ. अमर सिंह जी से लेकर श्री अधीर रंजन जी तक 29 वक्ताओं ने अपने-अपने तरीके से विचार व्यक्त किए हैं, मगर बिल के उद्देश्यों के साथ सभी ने

सहमति व्यक्त की है। इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यहां पर जो बिल लेकर आया हूँ, जो विधेयक लेकर इस महान सदन की सहमति प्राप्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, उसके बारे में बोलना चाहूंगा। 70 सालों से जिन पर अन्याय हुआ है, जो अपमानित हुए हैं और जिनकी अनदेखी की गई है, उन सभी लोगों को न्याय दिलाने का यह बिल है, उनको अधिकार दिलाने का यह बिल है।

माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी समाज में जो डिप्राइव्ड लोग होते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। यह भारतीय संविधान की मूल भावना है, परंतु उसके साथ-साथ इसका सम्मान कम न हो, उस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। अधिकार देना और अधिकार सम्मान के साथ देना दोनों में बड़ा फर्क है इसलिए कमजोर और वंचित वर्ग के जगह अन्य पिछड़ा वर्ग का नामकरण बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों चीजों को ढेर सारे प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अलग-अलग तरीके से थोड़ा कम आँकने का प्रयास भी किया है। किसी ने कहा कि यह पहले से हो रहा था, किसी ने कहा कि सिर्फ नाम बदल रहा है। मैं इन सभी को कहना चाहता हूँ कि अगर हमें पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जरा भी संवेदना है तो नाम के साथ इसमें उनका सम्मान जुड़ा है, उसे जरूर देखना चाहिए। नाम के साथ सम्मान जुड़ा होना, यह वही लोग देख पाते हैं, जो उनका उत्कर्ष अपना भाई समझकर, अपने से पीछे रह गए व्यक्ति को भाई समझकर संवेदना के साथ ऊँगली पकड़कर आगे बढ़ाना चाहते हैं।

वे लोग इसका नाम नहीं समझ सकते, जो इसका वोट बैंक के नाते उपयोग करके अच्छे लच्छेदार भाषण देकर राजनीति में वोट प्राप्त करने का जरिया और साधन समझते हैं। नरेन्द्र मोदी जी ऐसे नेता है, जो स्वयं एक गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर आज देश के प्रधान मंत्री बने हैं। वे पिछड़ों का दर्द भी जानते हैं, वे गरीब का दर्द भी जानते हैं। जब इनको आगे बढ़ाने की बात होती है, तब कई बार तो मदद की जगह सम्मान के मायने बड़े होते हैं। मदद से ज्यादा व्यक्ति का सम्मान उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उसके आत्मविश्वास को और उसके गौरव को सम्मानित करता है, बढ़ाता है, जो उसके जीवन में आगे बढ़ने का कारण होता है।

15.00 hrs

मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने ढेर सारे माननीय सदस्यों के भाषण सुने भी हैं और पढ़े भी हैं। यह भाव सिर्फ नाम बदलने से क्या होता है, को समझाने के लिए मैं कह रहा हूं।

मान्यवर, मैं आज जो बिल लेकर आया हूं, इस बिल के बारे में थोड़ी पृष्ठभूमि भी बताना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि जम्मू-कश्मीर में जब महाराजा हरि सिंह जी ने भारतीय संघ के साथ इनके विलय का निर्णय किया, उस वक्त से लेकर अब तक कई सारे उतार-चढ़ाव हुए। 80 के दशक के बाद आतंकवाद का एक दौर भी आया और

वह बड़ा भयावह दृश्य था। पीढ़ियों से, सदियों से जो लोग अपनी भूमि पर रहते थे, अपना देश समझ कर रहते थे, अपनी जन्मभूमि समझ कर रहते थे, वे मूल समेत उखड़ गए और किसी ने इनकी केयर नहीं की। इनकी चिंता भी नहीं की और न ही इसको रोकने का प्रयास किया गया। कई बार मान्यवर रोकने की जिनकी जिम्मेवारी थी, वे इंग्लैंड में वैकेशन कर रहे थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं और फिर कहते हैं कि हमने कुर्बानी दी। आपकी कुर्बानी आंख-माथों पर, अगर दी है, मगर सटीक काम और सटीक उपाय और सख्ती के साथ वोट बैंक की राजनीति के बगैर उस वक्त उसको, आतंकवाद को उगता हुआ खत्म करते, तो आज उनको अपना प्रदेश छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती और न ही मुझे आज सदन के सामने यह बिल लेकर आना पड़ता।

मान्यवर, जब ये विस्थापित हुए, तब देश के अन्य हिस्सों में, उनको अपने ही देश में शरणार्थी बन कर जाना पड़ा। वे दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई न जाने कहां-कहां गए? वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार लगभग 46,631 परिवार और 1,57,967 लोग अपने ही देश में विस्थापित हो गए। वे इस तरह से विस्थापित हुए कि उनकी जड़ें ही अपने खुद के देश से, अपने खुद के प्रदेश से, अपने खुद के वतन से उखड़ गईं। यह बिल उनको अधिकार देने के लिए है, यह बिल उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए है।

मान्यवर, कश्मीर के लिए एक प्रकार से तीन युद्ध हुए। वर्ष 1947 में पाकिस्तान ने कबालियों के नाम से आक्रमण किया। इसमें लगभग 31,779 परिवार पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर से जम्मू-कश्मीर में विस्थापित हुए। इनमें से 26,319 परिवार जम्मू-कश्मीर में और 5,400 परिवार देश भर में फैल गए। वे पाकिस्तान के हमले के शिकार थे। इसके अतिरिक्त वर्ष 1965 और वर्ष 1971 में भी युद्ध हुए, उसमें और 10,065 परिवार विस्थापित हुए। कुल मिला कर वर्ष 1948, 1965 और 1971 इन तीनों युद्धों में 41,844 परिवार विस्थापित हुए। मैं विस्थापितों की स्थिति के बारे में बाद में बात करूंगा। यह बिल उनको अधिकार देने का बिल है, यह बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का बिल है। आज वे लोग ऐसी स्थिति में नहीं है कि वे वहां चुनाव लड़ कर वहां की असेम्बली में बैठें। जो कहते हैं कि क्या हुआ - धारा 370 का? कहां हुआ 5 अगस्त और 6 अगस्त तो 5 अगस्त और 6 अगस्त 2019 में यह हुआ कि इनकी सालों से न सुनने वाली आवाज नरेन्द्र मोदी जी ने सुनी और आज उनको अधिकार मिला।

मान्यवर, जिस 5 अगस्त और 6 अगस्त, 2019 का बिल कुछ लोगों को जूते में पड़े कंकड़ की तरह खटकता है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि इसी बिल का हिस्सा न्यायिक डिलिमिटेशन था। यह एक शब्द नहीं है बल्कि यह दो शब्द जोड़ कर बना है। क्योंकि पहले जो डिलिमिटेशन हुआ था, वह इस तरह से था कि एक कॉंस्टीटूएंसी यहां बनी है और दूसरा, वह कॉंस्टीटूएंसी का हिस्सा 15 किलोमीटर दूर है क्यों, क्योंकि मुझे चुनाव जीतना है। इस तरह से डिलिमिटेशन हुआ। यह डिलिमिटेशन के सामने मैंने जान-बूझकर एज ए लेजिस्लेटर न्यायिक डिलिमिटेशन लिखा था, वह आज मैं सदन को बताना चाहता हूं। डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन और डिमार्केटेड

असेम्बली, यह लोकतंत्र का मूल है, जनप्रतिनिधि को चुनने की इकाई तय करने की प्रक्रिया है। असेम्बली जो बनती है, वहीं से मतदाता अपना प्रतिनिधि विधान सभा में भेजते हैं। अगर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया ही पवित्र नहीं है, तो लोकतंत्र कभी पवित्र नहीं रह सकता। इसलिए हमने इस बिल के अंदर व्यवस्था की थी कि डिलिमिटेशन, न्यायिक डिलिमिटेशन फिर से किया जाएगा। सभी की सुनवाई हुई, डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू-कश्मीर में सब जगह पर गया। अंतिम जिले से लेकर पहले जिले तक, सब जगह घूमे। कई समुदायों के प्रतिनिधियों ने इनको आवदेन-पत्र दिए थे। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आए हुए लोगों ने भी दिए थे और कश्मीर घाटी से भाग कर जम्मू में शरण लेने वाले लोगों ने तथा कश्मीर घाटी से भाग कर देश भर में फैले हुए कश्मीरियों ने भी आवदेन दिए थे कि हमारे प्रतिनिधित्व का डिलिमिटेशन कमीशन संज्ञान लें।

मान्यवर, मुझे आनंद है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने इसका संज्ञान लिया। भारत के इलैक्शन कमिश्नर ने विधान सभा में दो सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए नामांकन की जा सकें और ऑक्युपाइड कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान लेकर बैठा है, वहां से विस्थापितों लोगों में से एक व्यक्ति को नोमिनेट करना पड़ेगा। यह इसका एक भाग है। अब इसमें क्या है, पहले भी मिलता था। नहीं, पहले नहीं मिलता था। पहले सिर्फ जरूरत लगे या प्रतिनिधित्व न हो, तो महिलाओं को दो सीट दी जाती थीं। तीन सीटें अपॉइंट करने की डिलिमिटेशन कमीशन की जो सिफारिश है, उसको बिल में परिवर्तित करके, कानूनीजामा पहनाकर आज मैं इस महान सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं।

मान्यवर, इसमें से दो सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए होंगी, जो घाटी से विस्थापित हुए हैं और एक सीट पाक ऑक्युपाइड जम्मू-कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों के लिए नामित की जाएगी। इसमें से एक महिला का होना जरूरी है। इस प्रकार एक कानूनी सुधार लेकर आज मैं यहां पर आया हूं। डिलिमिटेशन कमीशन के इतिहास में पहली बार 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब्स (एसटी) के लिए आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 16 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो नई स्कीम बनी है, जम्मू में पहले 37 सीटें थीं, यह भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थीं, अब 43 हुई हैं। कश्मीर में पहले 46 थीं, अब 47 हुई हैं और पाक आक्युपाइड कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वह हमारा है, हमने रिजर्व रखी हैं। इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू-कश्मीर विधान सभा में थीं, अब 114 सीटें हुई हैं। पहले 2 नोमिनेटेड मैम्बर हुए करते थे, अब **5** नोमिनेटेड मैम्बर होंगे। जम्मू-कश्मीर के कानून के हिसाब से दो महिलाओं को उप राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और धारा 15 के अनुसार किया जाता है। अब इसमें कश्मीरी प्रवासियों में से दो, जिसमें से एक महिला और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से एक नामांकन किया जाएगा।

मान्यवर, यह इसलिए सम्भव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को यह ऐतिहासिक बिल नरेन्द्र भाई ने कैबिनेट में पारित किया और इस सदन ने इसकी परमिशन दी, इसको मान्यता दी तथा अनुच्छेद 370 चला गया।

डिलिमिटेशन कमीशन इसी का हिस्सा था।

मान्यवर, सुरक्षा के परिदृश्य पर मैं बाद में बात करूंगा। ढेर सारे सदस्यों ने इसकी चिंता भी व्यक्त की है। मैं भी चिंतित हूं, परन्तु क्या हुआ है, वह बताना मेरा फर्ज है। क्योंकि एक ओर से रिकॉर्ड पर चीजें आ गई हैं, तो मुझे जवाब तो जरूर उसका देना पड़ेगा।

आज धारा 370 हटने के बाद क्या विकास हुआ, आतंकवाद तो अब भी चल रहा है, कश्मीरियत का कितना नुकसान हुआ, इन सारे सवालों के जवाब, मैं बहुत ही डिटेल में दूँगा। ये जो दोनों संशोधन हैं, आने वाले दिनों में इतिहास इस सदन के प्रयास को और इस सदन के आशीर्वाद को हर कश्मीरी, जो प्रताड़ित है, वह याद रखेगा, हर कश्मीरी, जो पिछड़ा है, वह इस बात को याद रखेगा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने सत्तर साल से दर-दर की ठोकरें खाने वाले भटकते हुए अपने ही देश के भाइयों-बहनों को न्याय दिलाने के लिए, उनके लिए दो सीटों का रिज़र्वेशन दिया और अपना देश छोड़कर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के यहाँ शरणार्थी बने हुए लोगों को रिज़र्वेशन दिया। जो लोग डिप्राइव्ड थे, ऐसे कमजोर लोगों के लिए अपमानित करने वाले शब्द की जगह ?पिछड़ा वर्ग? का संवैधानिक शब्द इनके लिए रखकर आज यह बिल लाया गया है।

इन्होंने क्या कहा? कई सदस्यों ने पूछा कि विस्थापितों के लिए क्या हुआ है? इनको रिज़र्वेशन देने से क्या होगा? उनको रिज़र्वेशन देने से उनकी आवाज़ कश्मीर की विधान सभा में गूँजेगी और यदि फिर से कोई ऐसी स्थिति करने जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। वे उसको रोकेंगे क्योंकि वहाँ उनकी आवाज़ होगी।

मान्यवर, इसके अलावा आज 5,675 कश्मीरी विस्थापित परिवार रोज़गार पैकेज का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए छ: हजार फ्लैट्स बनाने का प्रोजेक्ट था, जो अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह वर्ष 2015 से शुरू हुआ थ। अब राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद लगभग 880 फ्लैट्स वहाँ बन गये हैं और उनको हैंडओवर करने की प्रक्रिया चालू है। इनकी ऑनलाइन शिकायत संबंधी निवारण का पोर्टल भी शुरू कर दिया गया है। एक महत्वपूर्ण कानून, यहाँ पर कश्मीर के जो सांसद बैठे हैं, मैं उनको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं- क्या हुआ, क्या हुआ, उनको मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूँ। जब आतंकवाद चालू हुआ, लोगों को निशाना बनाकर जब उनको वहाँ से भगाने का काम शुरू हुआ, तो घड़ियाली आँसू बहाने वाले लोग तो मैंने बहुत देखे हैं, शब्दों से सांत्वना देने वाले नेताओं को मैंने बहुत देखा है, मगर नरेन्द्र मोदी एक मात्र ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने इनके आँसू सार्थक रूप से पोंछने का काम किया है।

मान्यवर, हम उनकी पीड़ा की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो लोग अपनी जान बचाने के लिए करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी वहाँ छोड़कर देश के विभिन्न हिस्सों में, बेंगलुरू, अहमदाबाद, दिल्ली और जम्मू में कैम्पों में रहे हैं, वे

अपने स्तर से बहुत नीचे का जीवन जी रहे हैं। हम उनकी पीड़ा की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वे वहाँ से भागे, तो उनकी करोड़ों रुपए की सम्पत्ति किसी ने कब्जा ली। उनकी सम्पत्ति कब्जा लेने के बाद उनसे कहा कि अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं जो देता हूँ, वह ले लो। एक प्रकार से, औने-पौने दाम में करोड़ों रुपए की सम्पत्ति छीन ली गई और प्रशासन चुपचाप बैठा रहा। इसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया गया।

मान्यवर, हमने इसका रास्ता ढूँढ़ा। एक नया पोर्टल बनाया और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उनको वह वापस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया। ये पूछते हैं क्या हुआ। क्या हुआ था, मैंने वह भी बताया और अब क्या हुआ है, मैंने वह भी बताया। आप लोगों ने बहुत बोला है, आज आप सुनने के लिए थोड़ा धैर्य रखना। आप लोग धैर्य रखकर सुनना। मेरा निवेदन है कि जितने लोग भी बैठे हैं, वैसे तो कम लोग ही बैठे हैं, फिर भी जो बैठे हैं, वे चले न जाएं।

मान्यवर, लगभग 1.6 लाख लोगों को अधिवास प्रमाणपत्र देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रति व्यक्ति 3,250 रुपए कैश राहत के रूप में दिये जाते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 13 हजार रुपए प्रति परिवार है। इसके अलावा, प्रति व्यक्ति 9 किलो चावल, 2 किलो आटा और 1 किलो मासिक चीनी देने का काम हमारी सरकार करती है।

पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जो लोग आए थे, उनको एकमुश्त 5,50,000 रुपए एक साथ देने का काम श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ? (व्यवधान) जो लोग कहते थे कि क्या हुआ? साहब, आप तो मूल से ही कटे हो। जब मूल के साथ संपर्क ही नहीं, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या बदलाव हुआ है? इंग्लैंड में वैकेशन करके जम्मू कश्मीर के बदलाव का अनुभव नहीं कर सकते। ? (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : आप किसके बारे में कह रहे हैं? ? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : दादा, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आप बैठ जाइए। आप कहां कश्मीरी हैं? ? (व्यवधान)

मान्यवर, एक बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया। सहभागिता की बहुत एप्रोच बैकवर्ड क्लास कमीशन ने ली। हितधारकों के साथ कई दौर की बैठकें कीं। 198 प्रतिनिधि मंडल और 16,000 लोगों की सुनवाई हुई। 750 दिन यह प्रकिया चली। सभी 20 डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर यह सुनवाई की गई। लगभग 26,000 से ज्यादा पोस्ट में मिली हुई लिखित अर्जियों को भी संज्ञान में ले लिया गया और जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, जो अभी आया है, उसमें से एक मूल तत्व, बाकी के दो बिल तो शेड्यूल ट्राइब डिपार्टमेंट और पिछड़ा वर्ग डिपार्टमेंट लेकर आएंगे, मगर अभी एक तत्वत: पार किया है, बदलाव किया है। जो मूसदी साहब कह रहे थे कि पहले भी था। हां था, पहले

भी था, परंतु कमजोर वर्गों के लिए था। इसकी जगह संवैधानिक नाम ?अन्य पिछड़ा वर्ग? देकर उनका सम्मान करने का काम श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। ? (व्यवधान)

यहां कांग्रेस के ढेर सारे मित्र बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास करते हैं। कुछ नेता होते हैं, जिनको कुछ लिखकर हाथ में पकड़ा दो, तो छ: महीने तक नया कागज न आए, तब भी वही बोलते रहते हैं - बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास। भाई, पहले अपना इतिहास तो देखो।

मान्यवर, मैं ऐतिहासिक सत्य के साथ इस सदन के अंदर यह स्टेटमेंट देने में झिझक नहीं रहा हूं कि बैकवर्ड क्लास का सबसे बड़ा विरोध और बैकवर्ड क्लास को रोकने का काम किसी एक पार्टी ने किया है, तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। ? (व्यवधान)

मान्यवर, मैं आज इस पवित्र सदन के अंदर खड़े रहकर पूछना चाहता हूं कि पिछड़ा वर्ग आयोग को 70 साल से संवैधानिक मान्यता नहीं दी जाती थी। क्यों नहीं दी जाती थी? क्यों उनको यह सम्मान नहीं मिलता था? जबकि संविधान का यह मेनडेट था, मगर नहीं दिया गया। ? (व्यवधान) श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इसको संवैधानिक मान्यता देने का काम किया। ? (व्यवधान)

मान्यवर, मैं आज इस सदन के अंदर पूछना चाहता हूं कि जो आम सभाओं में बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास करते घूमते हैं, मैं फिर से कहता हूं कि उनको मालूम नहीं है कि उनकी पार्टी ने क्या किया है? किसने काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट रोककर रखी, वह जवाब देना चाहिए। देश की जनता को मालूम पड़ना चाहिए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट तक, जब तक ये सत्ता के बाहर नहीं गए, तब तक लागू नहीं हुई और बाद में लागू हुई भी तो विपक्ष के नेता के नाते स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इसका विरोध किया। ? (व्यवधान) आज ये बैकवर्ड क्लास की बात कर रहे हैं? ? (व्यवधान) सेंट्रल एडमिशन स्कीम के अंदर बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देने का काम कांग्रेस पार्टी ने कभी भी नहीं किया। केवल और केवल श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने यह काम किया। ? (व्यवधान) सैनिक स्कूलों में भी दिया जाता है, नीट के अंदर भी दिया जाता है और सेंट्रल स्कूल्स के अंदर भी पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए सम्मान के साथ पढ़ने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की है। ? (व्यवधान)

मान्यवर, आप इनको बैठा दीजिए। ? (व्यवधान) अब तक ये डिप्राइव्ड लोगों की बात करते हैं। अब तक ईडब्ल्यूएस ? इकोनॉमिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने की बात कभी नहीं सोची गई। पहली बार श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अनारक्षित जातियों के गरीब बच्चों को दस प्रतिशत रिजर्वेशन देने का काम किया।

मान्यवर, आज यह नामकरण में भिन्नता से क्या होता है, यह इनको मालूम नहीं है। इनको मालूम नहीं है। मानो मेरी माँ का नाम कुसुम है, मैं उनको कुसुम बोलता हूँ और माँ कहता हूँ, दोनों के बीच में कितना अंतर है, यह माँ को ही मालूम पड़ता है और किसी को मालूम नहीं पड़ता है। नाम तो वही है, व्यक्ति वही है, मगर किस भाव से बुलाया जाता है, जब बच्चा माँ कहकर बुलाता है तो जो प्यार, स्नेह और वात्सल्य आता है, वह माँ कहने से ही आता है, नाम से नहीं आता है। ये यह नहीं समझ पाएंगे। यह भाषा का सुधार नहीं है, यह कॉन्सेप्ट का सुधार है, नजरिये का सुझाव है और देखने के दृष्टिकोण का सुझाव है, जो नरेन्द्र मोदी सरकार कर रही है।? (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आप यह बताइए कि आप कास्ट सेंसस करवाओगे या नहीं करवाओगे।? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : अधीर रंजन जी, मैं एक बात कह रहा था कि एक नेता लिखा हुआ पढ़ते ही रह गए, पढ़ते ही रह गए। तुम भी वह स्क्रिप्ट पढ़ने लगे। ऐसा मत करो। अधीर रंजन जी, ऐसा मत करिए। आप माननीय विपक्ष के नेता हैं।? (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: आप भी तो कुछ पढ़ रहे हो।? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मैं जरा सा भी लिखा हुआ नहीं पढ़ता हूँ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वे आपके बारे में नहीं बोल रहे हैं। माननीय अधीर रंजन जी, वे आपके बारे में नहीं बोल रहे हैं। कृपया, आप बैठिए।

? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मान्यवर, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि मेरे 32 साल किसी न किसी सदन में हो गए, मैंने आज तक कभी लिखा हुआ भाषण पढ़ा नहीं है। मैं मन की गहराइयों से बोलता हूँ। मेरे हाथ में जो कागज होता है, वह आंकड़ों और तथ्यों को रैफर करने के लिए होता है, क्योंकि मैं जिम्मेदारी के साथ यहाँ बोलता हूँ।? (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: क्या कोट करना संविधान में गलत माना गया है? क्या आप यह भी बंद करा दोगे?

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृप्या बैठिए।

? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मान्यवर, यह विधेयक नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा लाया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा देश में लाए हुए सैंकड़ों सकारात्मक**,** परिवर्तनकारी, प्रगतिशील परिवर्तनों की कड़ी में एक और मोती जोड़ने का काम यह विधेयक करेगा। इसीलिए मैं आज इस सदन से आशीर्वाद माँगने आया हूँ।? (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : चुनाव कब होगा, यह बता दीजिए।? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : दादा, धैर्य से सुनना पड़ेगा, अंत में बताऊँगा।? (व्यवधान) अंत में बताऊँगा, तब तक आप टोके बगैर बैठिए।? (व्यवधान)

मान्यवर, कुछ सदस्यों ने वाद के अंदर कुछ कानूनी और संवैधानिक मुद्दे खड़े कर दिए। पहले एक मोरल बात लाए कि जिस कानून के अंदर आप अमेंडमेंट लेकर आए हो, वह कानून ही कोर्ट के सामने चैलेंज में है। मसूदी साहब तो हाई कोर्ट के जज रहे हैं, विद्वान न्यायाधीश रहे हैं। अधिवक्ता अच्छे ही होंगे, तभी तो जज बने होंगे। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि धारा 370 भी काफी साल तक चैलेंज में रही। क्यों नहीं रोका उसको? जब चैलेंज में थी तो धारा 370 को क्यों नहीं रोका गया? आज आपको कानून की मर्यादाएं याद आ रही हैं। फिर भी मैं स्पष्टता करना चाहता हूँ, आपकी ही पिटीशन है, आप पिटीशनर हो, इस पर स्टे माँगा गया था, स्टे पर बहस हुई, न्यायाधीशों ने सुनवाई करके स्टे देने से इनकार किया।? (व्यवधान) स्टे देने से इनकार किया। मैं बहुत जवाबदेही के साथ यहाँ बोल रहा हूँ। कोई स्टे नहीं है।? (व्यवधान)

श्री हसनैन मसूदी : एडमिट किया है। एडमिट खुद ही यह होता है।? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : नहीं-नहीं, पिटीशन एडमिट होने से कुछ नहीं होता है, स्टे करना पड़ता है। आर्डर में स्टे करना पड़ता है।? (व्यवधान) साहब, आप तो जज रहे हैं, ऊपर वाले से तो डरिए। फारूख साहब से इतना मत डरिए।

डॉ. फारूख अब्दुल्ला (श्रीनगर): होम मिनिस्टर साहब, माफी मांगता हूं, मैं किसी को डराता नहीं हूं।? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : फिर भी डरते हैं।? (व्यवधान)

डॉ. फारूख अब्दुल्ला : मेरा काम डराना नहीं है। आप लोगों का काम है डराना। हम डराते नहीं हैं। आपने जो कहा है, उसका जवाब मैं आपके बाद दूंगा।? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : आप नियमों के अनुसार नहीं दे सकते हैं।? (व्यवधान) मान्यवर, जब कोई भी पेटिशन सुप्रीम कोर्ट के सामने जाती है, यदि सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे नहीं देता है तब तक यथास्थिति बनती है और यथास्थिति यह है कि राष्ट्रपति महोदय ने कानून को बनाने का काम पूर्ण कर दिया है। यही यथास्थिति है और इसके अंदर मैं अमेंडमेंट लेकर किसी भी समय आ सकता हूं।? (व्यवधान)

सरदार सिमरन जीत सिंह मान : आप देश के होम मिनिस्टर हैं। आप इतने गुस्से में क्यों बोलते हैं? ? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मान्यवर, उसके बाद मनीष तिवारी जी के द्वारा कहा गया कि अनुच्छेद 3 में कहीं पर भी यूटी का प्रावधान नहीं है। मान्यवर, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बहुत बड़ी बात माननीय सदस्य ने कही है। मैं अनुच्छेद 3 को इस सदन में पढ़ना चाहता हूं ? ?नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन? यह अनुच्छेद की मूल बात है। इसके अंदर आगे ?क - किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करने अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण देश की संसद कर पाएगी।? मनीष जी ने कहा कि यूटी नहीं है, यूटी का इसमें प्रोविजन नहीं है। शायद उन्होंने पूरा पढ़ा नहीं है या जानबूझ कर आगे सदन को बताया नहीं। आर्टिकल 3 के नीचे ही स्पष्टीकरण है। इस अनुच्छेद के खंड ?क? से ?ड? में, जिसमें सारी चीजें आती हैं ? ?राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र समाहित है।? वहां राज्य का मतलब संघ राज्य क्षेत्र अपने आप हो जाता है। मैं मनीष जी को थोड़ी स्पष्टता करना चाहता हूं कि इतना बड़ा गैर कानूनी काम कम से कम नरेन्द्र मोदी सरकार नहीं कर सकती है। यह कोई इंदिरा गांधी की सरकार नहीं है, जो इस प्रकार के कानून लेकर आए।? (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी : अध्यक्ष जी, मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता हूं।? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : अभी बहस नहीं हो सकती है। बाद में सवाल? (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी : आपने नाम लेकर कहा है, इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं।? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मैं बाद में आपको सवाल पूछने का मौका दूंगा। अभी आप बैठ जाएं।? (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी : लेकिन, आपने अभी कहा है कि नियम के अनुसार आपके बाद कोई बोल नहीं सकता है।? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मनीश जी, मैं प्रश्न ले सकता हूं। मैं अध्यक्ष जी को अभी कहता हूं कि बाद में मनीष जी का प्रश्न लें।? (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी : अध्यक्ष जी, यदि आप अनुमति देने के लिए तैयार हैं, तो ठीक है।? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : ठीक है, यह भी नियमों के अंदर।

मान्यवर, बाद में उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 3 के परन्तुक को निलम्बित करके राष्ट्रपति शासन लगाया**,** क्योंकि यह प्री डिजाइन था। मान्यवर, मेरे पास लिस्ट है। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन वर्ष 1973 में लगा, हम नहीं थे। कांग्रेस की सरकार थी, परन्तुक निलम्बित किया गया था। अरूणाचल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, परन्तुक निलम्बित किया गया, वर्ष 1981 में आंध्र प्रदेश में इनकी सरकार थी, परन्तुक निलम्बित किया गया था।

वर्ष 1990 में भी परन्तुक निलम्बित किया गया था। बिहार में वर्ष 1969 कांग्रेस की सरकार थी, परन्तुक निलम्बित किया गया था। वर्ष 1972 परन्तुक निलम्बित किया गया था। वर्ष 1977 परन्तुक निलम्बित किया गया था। फिर गोवा, वर्ष 1990 परन्तुक निलम्बित किया गया था। मेरे पास लगभग-लगभग 27 राज्यों के 50 से ज्यादा आंकड़े हैं। एक भी राज्य में परन्तुक निलम्बित किए बिना राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है।? (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी : अध्यक्ष जी, आप अब मुझे दो मिनट का समय बोलने के लिए दीजिए, क्योंकि यह संवैधानिक सवाल है।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : टाइम तो मैं दूंगा न।

? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मान्यवर, मैंने उनको कहा है कि सवाल पूछने दूंगा, वे क्यों इतने विचलित हो रहे हैं?? (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी : अध्यक्ष जी, मेरे पास सात प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन हैं। उन छ: प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन्स की लैंग्वेज एक है और जम्मू-कश्मीर के प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन की लैंग्वेज अलग है। मैं आपको अभी डिमॉन्सट्रेट कर सकता हूं।? (व्यवधान) मैं आपको अभी पढ़ कर सुनाता हूं।? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : इस पर बहस ही नहीं है कि लैंग्वेज क्या है, बहस इस पर है कि अनुच्छेद-3 के परंतुक को, जिसमें असेम्बली की पावर यहां पर आती है, इसको निलंबित किया गया है या नहीं किया गया है? हम एक लिमिटेड क्वैश्चन पर हैं। यह बात कहां है? इसकी बात कहां खड़ी होती है?? (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी : अध्यक्ष जी, मुझे बस दो मिनट पढ़ने का समय दीजिए।? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे संरक्षण दीजिए, इस तरह से बिल का जवाब नहीं दिया जा सकता।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मनीश तिवारी जी, आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

? (व्यवधान)?

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, कृपया आप मुझे व्यवस्था दीजिए। इस तरह से ऐसे महत्वपूर्ण बिल का जवाब नहीं दिया जा सकता है।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपको कहा कि मैं आपको सवाल पूछने का मौका दूंगा। प्लीज़, आप बैठ जाइए।

माननीय गृह मंत्री जी।

? (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी : स्पीकर साहब, मैं दोबारा यह बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बाकी प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन की लैंग्वेज डिफरेंट है और जम्मू-कश्मीर के प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन की लैंग्वेज डिफरेंट है।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय राम कृपाल जी, प्लीज़, आप बैठ जाइए।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मनी**श** तिवारी जी, प्लीज़, आप बैठ जाइए।

श्री अमित शाह: मान्यवर, ढेर सारे सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की चिंता का जिक्र किया। वे चिंतित भी थे। यह अच्छी बात है कि चिंता हो रही है, यह होनी भी चाहिए, सभी को होनी चाहिए। उन्होंने सीधा-सीधा इसे आर्टिकल-370 के निरस्त करने से जोड़ा। उन्होंने कहा, क्या हुआ**,** अभी भी आतंकवाद चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले सेना के कुछ जवान शहीद हो गए।? (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : केवल जवान नहीं, मेजर, लेफ्टिनेंट जनरल शहीद हुए।? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : सेना के ऑफिसर्स, जवान शहीद हो गए, कुछ घटनाएं भी हुईं।

मान्यवर, किसी ने भी नहीं कहा था कि आर्टिकल-370 के जाने के बाद कश्मीर में आतंकवाद समाप्त हो जाएगा।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सदन के अन्दर आपने ही कहा था।

श्री अमित शाह : मैंने कहा था कि आतंकवाद का मूल कारण आर्टिकल-370 के कारण खड़ी हुई अलगाववाद की भावना है, आर्टिकल-370 के जाने से अलगाववाद में बहुत बड़ी कमी आने वाली है और इसके कारण आतंकवादी भावनाओं में कमी आएगी। अधीर रंजन जी, यह तो रिकॉर्ड की बात है।

मान्यवर, अब मैं वर्ष 1994 से लेकर वर्ष 2004 के कालखण्ड के बारे में बताता हूं। इसमें किसका शासन था, इस पर मैं नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं कालखण्ड के बारे में बता रहा हूं। इसके बीच कई शासन आए हैं। इस दौरान आतंकवाद की कुल घटनाएं 40,364 हुईं। इसमें छोटी-छोटी घटनाएं भी हैं और कुछ बड़ी घटनाएं भी हैं। वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक मनमोहन जी और सोनिया जी के शासन का समय था। इस दौरान आतंकवाद की घटनाएं 7,217 हुईं। नरेन्द्र मोदी सरकार में, वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2023 तक ये सिर्फ 2,000 हुईं। इनमें 70 प्रतिशत की कमी आई है। इसे मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ये जो 2,197 हुई हैं, इसमें 45 प्रतिशत घटनाएं पुलिस द्वारा की गयी कार्रवाई के कारण घटित हुई हैं। इसका मतलब कि अगर यह सूचना मिलती है कि वहां आतंकवादी छिपा है, पुलिस उस पर हमला करती है, तब भी वह आतंकवादी मुठभेड़ माना जाता है। वर्ष 2004-2014 की तुलना में वर्ष 2014-2023 में 70 प्रतिशत की कमी आई है। नागरिकों की मृत्यु के अन्दर 81 प्रतिशत की कमी आई है और सिक्योरिटी फोर्सेज़ की मृत्यु में 48 प्रतिशत की कमी नरेन्द्र मोदी सरकार में आई है। इसलिए मैं कहता हूं, मैं ठीक ही कहता था कि अलगाववाद की भावना का मूल, उसका उद्भव स्थान आर्टिकल-370 है, अगर वह जाएगा तो अलगाववाद की भावना ओवर-ए-पीरियड-ऑफ-टाइम खत्म होगी और आतंकवाद भी खत्म होगा।

कल पथराव की बात हुई। मैंने दो साल लिए हैं। वर्ष 2010 में 2654 पथराव की घटनाएं हुई थीं, वर्ष 2023 में यह ज़ीरो थी। एक भी पथराव की घटना नहीं हुई।

जो ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल होती थी, जो कॉल देकर होती थी, पाकिस्तान से उनके आका कॉल देते थे और कश्मीर घाटी और जम्मू में बंद हो जाता था। वर्ष 2010 में ऐसी 132 ऑर्गेनाइज्ड हड़तालें हुई थीं और वर्ष 2023 में एक भी हड़ताल नहीं हुई, एक भी बंद नहीं हुआ।

मान्यवर, वर्ष 2010 में पथराव में नागरिकों की मृत्यु 112 हुई थीं, वर्ष 2023 में चूंकि पथराव ही नहीं हुआ है तो इससे कोई भी इन्जर्ड नहीं हुआ, कोई भी मृत्यु नहीं हुई।

मान्यवर, पथराव में नागरिकों की मृत्यु वर्ष 2010 में 112 हुई थीं, तथा 2023 में, चूंकि पथराव नहीं हुआ है तो no injured, no deaths. मान्यवर, सिक्योरिटी फोर्सेज़ के कर्मचारी, पथराव के कारण 6,235 लोग इंजर्ड हुए थे, इस बार चूंकि पथराव ही नहीं हुआ है तो ज़ीरो इंजर्ड है। क्या बदलाव हुआ है? इनको मैं कहता हूँ कि यह बदलाव हुआ है। अरे! इसी सदन में रह कर सारी मर्यादाएं तोड़ कर अगर अनुच्छेद 370 खत्म हुई तो खून की नदियां बह जाएंगी, ऐसा कहते थे। खून की नदियां तो छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है, इस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है।

मान्यवर, सीज़फायर के वायलेशन की घटना, वर्ष 2010 में 70 थीं, वहीं वर्ष 2023 में 6 ही घटनाएं हुई हैं। घुसपैठ के प्रयास की घटनाएं, वर्ष 2010 में 489 थीं, वहीं वर्ष 2023 में सिर्फ 48 ही हैं। वहीं वर्ष 2010 में 112 आतंकवादी मारे गए थे। कुल मिला कर एवरेज़ निकाल दें तो 278 आतंकवादी मारे गए हैं।

मान्यवर, पहले 18 वापस लौटे थे, अब 281 लोग पाकिस्तान लौट गए हैं। ? (व्यवधान) मान्यवर, यह सब ऐसे ही नहीं हुआ है। जम्मू-कश्मीर के लोगों की सुरक्षा और उनको जीवन की क्वालिटी सुधारने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने अथाह परिश्रम किया है।

मान्यवर, गृह मंत्रालय हर माह यहां पर सिक्योरिटी रिव्यु करता है और हर 3 माह में मैं वहां जा कर सिक्योरिटी रिव्यु करता हूँ।

मान्यवर, एक जीरो टेरर प्लान बनाया गया है, जिसको हमने इम्पिलिमेंटेशन में लाया है। 3 सालों से वह प्लान एक्शन में है। मान्यवर, मुझे पूरा भरोसा है कि वर्ष 2024 के बाद फिर से मोदी जी आने वाले हैं। वर्ष 2026 आते-आते जीरो टेरर प्लान 100 प्रतिशत लागू होगा।

मान्यवर, इसके साथ-साथ कम्पलीट एरिया डोमिनेशन का प्लान बनाया है, वह भी वर्ष 2026 तक समाप्त हो जाएगा। और पहले सिर्फ टेररिस्टों को मारते थे, हमने इसके ईको सिस्टम को खत्म किया है। इसके साथ-साथ टेरर फाइनेंस पर इको सिस्टम को खत्म करने के लिए केस किए हैं। एनआईए ने 32 केस किए हैं, जिसमें कुछ पार्टियां बड़ा अरण्यरोदन कर रही हैं, हाय-तौबा कर रही हैं कि क्यों केस हो रहे हैं ? क्यों केस हो रहे हैं। केस इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से पैसा आ रहा है और यह परमिटेड नहीं है। यह नरेंद्र मोदी सरकार है, यह नहीं चलेगा। एनआईए के द्वारा 32 केस हुए, एसआईए द्वारा 51 केस हुए। 83 केस टेरर फण्डिंग और फाइनेंस के हुए हैं। लगभग-लगभग 229 अरेस्ट हुए हैं। 150 करोड़ रुपये मूल्य की 57 प्रापर्टीज़ को सीज़ कर के नीलामी के लिए कोर्ट के सामने दस्तावेज़ उपलब्ध किए गए हैं। 134 बैंक अकाउंट्स सील किए गए हैं, जिसमें 1.22 करोड़ रुपये सीज़ हुए हैं और साढ़े 5 करोड़ रुपये कैश सीज़ हुए हैं। मान्यवर, ये लोग कहते थे कि क्या फर्क पड़ा है। अब्दुल्ला साहब यहां बैठे हुए हैं। अब्दुल्ला, साहब जब आपने मुख्य मंत्री पद छोड़ा, तब से ले कर मोदी जी प्रधान मंत्री बने, तब तक, 2019 तक जम्मू-कश्मीर में थिएटर नहीं चलते थे। यह पूरे देश को मालूम ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में सिनेमा के थिएटर चलते ही नहीं थे। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद, वर्ष 2021 में जम्मू-कश्मीर में पहला थिएटर शुरू हुआ और वह भी 30 सालों के बाद हुआ। ये लोग पूछते हैं कि क्या परिवर्तन हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह परिवर्तन हुआ है। श्रीनगर में एक मल्टीप्लेक्स बना, पुलवामा, शोपियां, बारामुला, हंदवाड़ा में चार नए थिएटर खुले हैं। 100 से अधिक फिल्मों की शूटिंग फिर से शुरू हो गई। जो फारुख साहब ने अंतिम देखा होगा, बाद में किसी ने नहीं देखा होगा, अब शूटिंग शुरू हो गई है। अब लगभग-लगभग 100 मूवी थिएटरों के लिए बैंक लोन्स के

प्रस्ताव आज बैंक में पेंडिंग पड़े हैं। मान्यवर, ये सब इंडिकेटर्स हैं। थिएटर खोलने की स्थिति ही नहीं थी। मुझे बताओ कि क्यों बंद करने पड़े थे?

ऐसा तो है नहीं कि जम्मू-कश्मीर में कोई पिक्चर देखना नहीं चाहता है। वहां आराम से पिक्चर देखे जाते थे, मगर थियेटर बंद करने पड़े थे।

मान्यवर, ऐसा कहते थे कि क्या हुआ था कि आर्टिकल 370 खत्म करना पड़ा। 45 हजार लोगों की मृत्यु हुई। मैं मानता हूं कि 45 हजार लोगों के मृत्यु की जिम्मेदार यह आर्टिकल 370 थी, जिसे नरेन्द्र मोदी ने उखाड़ कर फेंक दिया।

मान्यवर, ढेर सारे परिवर्तन हुए। जो पूछते हैं कि क्या हुआ, मैं इसका जवाब देने के लिए खड़ा हूं। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पहले एक अलग संविधान, अलग ध्वज और एक जमाने में दो अलग-अलग राजधानियाँ हुआ करती थीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिस उद्देश्य के लिए जान दे दी, कुछ सदस्यों ने इसको पोलिटिकल नारा कहा, लेकिन यह पोलिटिकल नारा नहीं, बल्कि इस देश की इच्छा है। इस देश में दो संविधान न हों, दो प्रधानमंत्री न हों, दो झंडे न हों - देश का झंडा, देश का निशान एक ही होना चाहिए। एक ही निशान के तले पूरा देश होना चाहिए। कुछ सदस्यों ने कहा कि हमसे वादा किया गया था, लेकिन वादा किससे किया था? अंग्रेजों ने जो स्कीम बनाई थी, आजादी के वक्त कांग्रेस ने जिस स्कीम को अप्रूव किया, उसमें पूरा अधिकार महाराजा का था। देश भर में कहीं तो पब्लिक को नहीं पूछा गया, तो क्यों जम्मू-कश्मीर में पूछना? मैं वादे की भी बात करता हूं। चलो, हम मान लेते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने वादा किया था, मगर आप आधा-अधूरा पढ़ते हैं, इसलिए कंफ्यूजन होता है। आर्टिकल 370 के ऊपर टेम्परेरी प्रोविजन लिखा गया था। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है, क्या आजीवन अधिकार होता है? ना जी, यह कब का जाना चाहिए था, इसके लिए हिम्मत नहीं थी। नरेन्द्र मोदी जी ने हिम्मत की और आर्टिकल 370 को समाप्त किया। कोई वादाखिलाफी नहीं है। संविधान का स्पिरिट था कि आर्टिकल 370 टेम्परेरी है। इस टेम्परेरी का दिन ही नहीं आता था। मोदी जी ने पाँच अगस्त को वह दिन ला दिया और जो टेम्परेरी था, वह चला गया।

मान्यवर, पहली बार कश्मीरी, डोगरी, हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू राज्य की अधिकारिक भाषाएं बनाई गईं? (व्यवधान)

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: What about Punjabi? Punjabi has been excluded ? (*Interruptions*)

श्री अमित शाह: जब उसकी चर्चा होगी तो मैं बताऊंगा। आप बैठ जाइए। राइट टू एजूकेशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे का कानून, फॉरेस्ट राइट एक्ट, एससी-एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 रोक कर रखे गए थे। ये सभी अब लागू हो गए हैं। वहां की असेम्बली 6 साल की बनाकर रखी थी, अब वह भी पाँच साल की हो गई। कई बड़े बदलाव हुए हैं।

मान्यवर, मैं आज कहना चाहता हूं कि हम भी लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए गए थे, लेकिन रोक दिया गया था। मोदी जी और हमारे उस वक्त के अध्यक्ष मुरली मनोहर जी गए और लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। तिरंगा फहराने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। आज हर घर तिरंगा फहर रहा है। घाटी का एक भी घर ऐसा नहीं था, जहां पर तिरंगा न फहराए गया हो।

मान्यवर, यह बदलाव हुआ है। आज लाल चौक पर सारे धर्मों के त्योहारों को मनाया जाता है और सारे धर्म के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। संविधान की स्पिरिट को अब नीचे उतारा गया है। जो पूछते हैं कि क्या हुआ, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। जब आर्टिकल 370 गया, उसके पहले जीएसडीपी सिर्फ एक लाख 64 करोड़ रुपये थी। आज 2,27,927 करोड़ रुपये की जीएसडीपी है। सिर्फ पाँच साल में डबल हो गया। रोजगारी ढेर सारी बढ़ी है। पहले 94 डिग्री कॉलेजेज थे, अब 147 हो गए। आईआईटी, आईआईएम और दो एम्स बनाए गए। जो सबसे पहला ऐसा राज्य है, जहां दो एम्स दिए गए, वह हमारा जम्मू-कश्मीर है। 70 साल में चार मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अब सात नए मेडिकल कॉलेजेज बनाए गए। 15 नर्सेस कॉलेज बनाए गए। मेडिकल सीट्स 500 थी, अब नई 800 सीट्स जोड़ने का काम आर्टिकल 370 जाने के बाद हुआ है। 367 पीजी की सीट्स थी, उनमें नई 297 सीट्स जोड़ने का काम नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है।

मान्यवर, मिड-डे-मील लगभग 6 लाख लोगों को मिलता था, अब 9 लाख 13 हजार लोगों को मिड-डे-मील मिलता है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की एवरेज 1158 किलोमीटर थी, अब यह 8 हजार 68 किलोमीटर चार साल में हो गई। जो पूछते हैं कि क्या हुआ है, उनको मैं बताता हूं। ? (व्यवधान) मैं जवाब देता हूं।

मान्यवर, स्मार्ट सिटी मिशन पहले था ही नहीं। अब 173 काम हुए हैं। प्रधान मंत्री आवास योजना में 70 सालों में 24 हजार घर दिए गए थे, इन पांच सालों में 1 लाख 45 हजार लोगों को घर देने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया। 75 सालों में 4 पीढ़ियों को, 7 लाख 82 हजार लोगों को पीने का पानी पहुंचा चुके थे, अब नये 13 लाख परिवारों को पीने का पानी पहुंचाने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है।

मान्यवर, शिशु मृत्यु दर 22 थी, वह कम होकर 16.30 पर लाने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है। पहले 47 जनऔषधि केन्द्र थे, उसकी जगह 227 जनऔषधि केन्द्रों पर आज सस्ती दवाइयां वहां पांच सालों में मिल रही हैं।

मान्यवर, स्पोर्ट्स में युवाओं की भागीदारी 2 लाख से बढ़कर 60 लाख तक पहुंची है, क्योंकि अब खेल हो सकते हैं। पेंशन के लाभार्थी 6 लाख से 10 लाख तक पहुंचे हैं। यह सारा परिवर्तन केवल और केवल नरेन्द्र मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 जाने के बाद किया है। जो राष्ट्रपति शासन को क्रिटिसाइज करते हैं, मैं उनको बताता हूं। ? (व्यवधान) दादा, आप कई बार बंगाल में पहुंच जाते हैं। आप यहां बैठे हुए हैं। आर्टिकल 370 जाने के कारण आतंकवाद घटा है। आतंकवाद कम होने के कारण वहां अच्छा वातावरण तैयार हुआ है, इसी के कारण यह सब डेवलपमेंट हुआ है, वरना आईआईएम न होता, न एम्स होता और कुछ न होता। ? (व्यवधान) आप नहीं समझ पायेंगे। जब हमारी सरकार बंगाल में आयेगी, वातावरण सुधरेगा और विकास होगा, तब मालूम होगा कि क्या परिवर्तन हुआ।?(व्यवधान)

मान्यवर, यहां से किसी सदस्य ने कहा, एक शब्द प्रयोग पर बहुत बड़ी आपत्ति की। मैं वह शब्द प्रयोग का अनुमोदन करने के लिए आज अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं उस शब्द प्रयोग को सपोर्ट करना चाहता हूं। वह शब्द प्रयोग था नेहरूवियन ब्लंडर। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं इस सदन में खड़ा होकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दो बड़ी गलतियां, जो पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रधान मंत्री काल में हुईं, उनके लिये गये निर्णयों से हुई, जिसके कारण सालों तक कश्मीर को सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज़ फायर कर दिया गया और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज़फायर तीन दिन लेट होता, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आज भारत का हिस्सा होता।? (व्यवधान) यह बात उस दिन चर्चा में करेंगे। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वे किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, संदर्भ बता रहे हैं।

? (व्यवधान)

श्री अमित शाह: मान्यवर, अभी तो एक ही कहा है, दूसरा तो सुनें। ? (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : जब आजादी की लड़ाई हुई थी, तब आप कहां थे??(व्यवधान)

श्री अमित शाह: मेरा जन्म नहीं हुआ था।?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्री जी ने ऑफिसियल स्टेटमेंट दे दिया था। आजादी के समय का पूरा स्टेटमेंट पूर्व में दे दिया है।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप एक बार फिर से बता दीजिए।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप दूसरा संदर्भ बता दें।

? (व्यवधान)

श्री अमित शाह: मैं सिर्फ दो संदर्भ बताना चाहता हूं, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीजफायर कर लिया और दूसरा यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। मैं एक कोट अनकोट पढ़ना चाहता हूं। यह एक पत्र का हिस्सा है,

> ?मैंने बहुत सावधानी से आपके द्वारा उठाए गए बिन्दुओं को देखा है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे विचार आपके ? (व्यवधान) यूनाइटेड नेशन्स के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा (सीजफायर)। लेकिन इस मसले को ठीक से नहीं निपटाया गया, हम सीजफायर पर विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमारे द्वारा की गई गलती है।?

इसमें आपत्ति है? आप नहीं आपत्ति कर सकते हैं, स्वयं जवाहर लाल नेहरू ने कहा है। अब मुझे क्या कह रहे हो, नेहरू जी ने स्वयं कहा है। मैं रेफरेंस भी दे देता हूं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जवाहर लाल नेहरू कलेक्शन जेएनएसजी 143 के अंदर स्वयं जवाहर लाल नेहरू का शेख अब्दुल्ला जी को लिखा हुआ पत्र है कि मेरी गलती थी। मैं किसी को कोट नहीं कर रहा हूं। ? (व्यवधान)

सुरेश जी, यह नेहरू जी ने लिखा है, समझते नहीं हैं। अनुवाद हो या नहीं हो रहा है। यह नेहरू जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। ? (व्यवधान) मान्यवर, मैं तो नेहरू जी का कोट पढ़ रहा हूं, ये क्यों गुस्सा हो रहे हैं। गुस्सा होना है तो नेहरू जी पर होना चाहिए। यह उनका कोट है, ये मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। मेरी तो समझ में ही नहीं आता है।

मान्यवर, ये ख्वामख्वाह मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं, मैंने जो कहा है वह नेहरू जी ने स्वयं शेख अब्दुल्ला जी को लिखा था। आपको गुस्सा होना है तो जवाहर लाल नेहरू जी पर होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: प्लीज बैठ जाइए।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्री जी।

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): The words which are being used by the Home Minister for Nehruji are not at all matching with the stature of the Home Minister. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्री जी, आप बोलिए।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सीनियर मैम्बर कह रहे हैं। आप बैठ जाइए।

? (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आपने जसवंत सिंह की बात कही है। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपने इस विषय के बारे में बोल लिया था।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्री जी, सिर्फ आपकी बात रिकॉर्ड में जा रही है।

? (व्यवधान)

श्री अमित शाह: जब यूएन में मामला भेजना था, तब भी निर्णय बहुत आनन-फानन में लिया गया। मामले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 35 की जगह 51 के तहत ले जाना चाहिए था। मेरा तो मत है कि ले जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर ले जाना था तो अनुच्छेद 51 के तहत ले जाना था, लेकिन इसकी जगह अनुच्छेद 35 में ले गए। कई लोगों के रिकॉर्ड पर सलाह देने के बाद भी निर्णय कर दिया गया कि अनुच्छेद 35 के तहत ले जाएंगे।

महोदय, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो इस देश की भाषा बोलता हूं। इस देश की भाषा तमिल भी है, बंगाली भी है, हिंदी भी है, मराठी भी है, कन्नड़ भी है, तेलुगू भी है, गुजराती भी तो कोई बोल सकता है। आप तमिल में भी बोल सकते हैं, मगर मैं हिंदी में बोलता हूं तो आप अनुवाद ध्यान से नहीं सुनते हैं। मैंने जो कुछ पढ़ा वह जवाहर लाल नेहरू जी ने लिखा है और नेहरू जी ने उसे थोड़ा कम करके लिखा है कि यह मेरी मिस्टेक थी। मिस्टेक नहीं थी,

ब्लंडर था। ? (व्यवधान) इस देश की इतनी जमीन चली गई, इस देश की इतनी भूमि चली गई, वह ब्लंडर था। ? (व्यवधान) ऐतिहासिक ब्लंडर था। ? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): ब्लंडर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ? (व्यवधान) क्या आप अपने आपको पंडित नेहरू से बड़ा व्यक्ति समझते हैं? ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, शब्दों की व्याख्या को समझें।

? (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: क्या आप भाषाविद् हैं? ? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : आप इतने बड़े भी नहीं हैं। ? (व्यवधान)

15.59 hrs

At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shri A. Raja,Shrimati Supriya Sadanand Sule, Prof. Sougata Ray and some other hon. Members left the House.

16.00 hrs

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): एक और क्षेत्र में ब्लंडर शब्द का प्रयोग किया गया है। वह भी जवाहर लाल नेहरू जी के क्षेत्र में है, जो हिमालयन ब्लंडर है। इसके बारे में भी गृह मंत्री जी थोड़ी बात बोल सकते हैं।

श्री अमित शाह : मान्वयर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि खाली ब्लंडर से वे इतना नाराज हैं, यदि हिमालयन बोलता तो वे इस्तीफा देकर चले जाते। ? (व्यवधान)

मान्यवर, हमारी ट्रेजरी बेंच में बैठे हुए मेरे साथी मंत्री जी ने कहा कि अमित भाई, उन्होंने सुबह आपको बताया था कि चले जाएंगे। यह आप पहले से ही कहते थे। मैं बताना चाहूंगा कि मुझे किसी ने नहीं बताया, मेरी ऐसी बात-चीत ऑफ द रिकॉर्ड कभी होती नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि पिछड़ा वर्ग की जब-जब बात आती है, कांग्रेस कभी सहयोग नहीं करती है, सदन छोड़कर चली जाती है। ? (व्यवधान) मुझे यहां तक विश्वास था कि पिछड़ा वर्ग को सम्मान देने की बात पर कांग्रेस वोट दे ही नहीं सकती है। वोट देने की न उनको परमिशन है, न उनको मेनडेट है, न उनकी इच्छा है, इसलिए वे चले गए।

मान्यवर, प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2015 में 80 हजार करोड़ रुपये की लागत से 63 परियोजनाएं लागू कीं। 70 सालों तक कश्मीर को इग्नोर किया गया और समग्रता से कश्मीर के विकास के लिए बिजली, इन्फ्रास्ट्रक्चर के

प्रोजेक्ट, इरीगेशन, एजुकेशन, मेडिकल सुविधाएं, इन सभी चीजों को समाहित करते हुए 63 परियोजनाएं 80 हजार करोड़ की लागत से बनाईं। इसमें 21 हजार करोड़ की लगभग 9 परियोजनाएं लद्दाख की थीं, जो अलग यूटी में चली गईं, परन्तु जम्मू-कश्मीर की यदि बात करें, तो 58 हजार 477 करोड़ रुपये की 32 परियोजनाएं लगभग पूरी हो गई हैं और 58 हजार करोड़ रुपये में से 45 हजार 8 सौ करोड़ रुपये का व्यय हो गया है। वे कह रहे हैं कि इसके लिए क्या हुआ?

मान्यवर, मैं कुछ योजनाओं का नाम जरूर पढ़ना चाहूंगा। 5 हजार मेगावाट का लक्ष्य रखकर 4 हजार 287 करोड़ रुपये की 624 मेगावाट की कीरू हाइड्रो परियोजना, 5 हजार करोड़ रुपये की 540 मेगावाट की क्वार हाइड्रो परियोजना, 5 हजार दो सौ करोड़ रुपये की 850 मेगावाट की रतले हाइड्रो परियोजना, 8 हजार एक सौ बारह करोड़ रुपये की 1 हजार मेगावाट की दूल हाइड्रो परियोजना, 2 हजार 3 सौ करोड़ रुपये की 1856 मेगावाट की सावलकोट हाइड्रो परियोजना और 2 हजार 793 करोड़ रुपये की शाहपुर कंडी बांध सिंचाई और बिजली परियोजना।

मान्यवर, केवल जल विद्युत के अंदर इतना सारा पैसा इन 10 सालों में इनवेस्ट हुआ है। पहली बार 1600 मेगावाट की सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी वहां पर प्रोजेक्ट डाला गया है। 30 ग्रिड स्टेशनों का निर्माण हुआ है। 467 किमी नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई गई हैं। 266 उप स्टेशनों को बनाया गया है और 11 हजार सर्किट किमी की एचटी और एलटी लाइनों को बिछाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। सिंचाई का जहां तक सवाल है, 62 करोड़ की रावी नहर योजना पूरी कर ली गई है। 45 करोड़ रुपये की त्राल सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया गया है। झेलम और सहायक नदियों के बाढ़ प्रबंधन के लिए 399 करोड़ रुपये के तीसरे चरण का काम पूरा हो गया है। 1623 करोड़ रुपये का दूसरे चरण का काम चल रहा है और चरण एक का काम पूरा होकर 31 हजार 8 सौ क्यूसेक से बढ़कर 41 हजार क्यूसेक के करीब परिवहन की क्षमता आज हो गई है। शाहपुर कंडी बांध परियोजना भी पूरी हो गई है। जम्मू प्रांत की प्रमुख नहरों से 3 पीढ़ियों से गाद नहीं निकाली गई थी। 59 दिनों में ही राष्ट्रपति शासन लगने के बाद गाद निकालने का काम 70 सालों के बाद पूरा हुआ है। रेल नेटवर्क का विस्तार हुआ है। 3 हजार 127 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 8.45 किलोमीटर लंबी काजीगुंड बनिहाल सुरंग का निर्माण हो गया है।

लगभग 8 हजार किलोमीटर नये रोड ग्रामीण सड़क योजना के तहत बने हैं। जम्मू-कश्मीर के 10 सिल्क को जीआई टैग मिला है। डोडा के गुच्छी मशरूम को भी जीआई टैग मिला है। आर एस पुरा के बासमती चावल को जैविक प्रमाण-पत्र जारी किया गया और समग्र कृषि विकास के लिए 5 हजार 13 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। पूरे देश में सरकार सिर्फ गरीब व्यक्तियों का पाँच लाख रुपये तक स्वास्थ्य का पूरा खर्च उठाती है। पूरे देश में सिर्फ गरीबों का उठाती है। आज जम्मू-कश्मीर में सभी व्यक्तियों का पाँच लाख का पूरा खर्च सरकार उठा रही है।

हमने बहुत रुचिता और संवेदनशीलता के साथ जम्मू-कश्मीर को संभालने का काम किया है। जो लोग कह रहे थे कि क्या हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद अंतिम पर्यटक 14 लाख थे। अब वर्ष 2022-23 में 2 करोड़ पर्यटकों ने जम्मू-कश्मीर में भ्रमण किया। जून, 2023 तक एक करोड़ का रिकॉर्ड समाप्त हो गया है। मुझे विश्वास है कि दो करोड़ का भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार का रिकॉर्ड भी नरेंद्र मोदी सरकार ही समाप्त करेगी। इसी दिसम्बर में यह रिकॉर्ड टूटेगा। जम्मू-कश्मीर एक ऐसा गंतव्य स्थान बना है, जिसका वातावरण प्राकृतिक है, मानांक वैश्विक है, दृष्टिकोण आधुनिक है, आतिथ्य पारंपरिक है और अनुभव में मनोरंजन तथा रोमांच दोनों है, इस प्रकार का एक पर्यटक स्थल आज बना है। होम स्टे और फिल्म की नीति बनी है। हाउस बोट के लिए भी एक पॉलिसी बनाने का काम किया गया है। जम्मू रोपवे परियोजना 75 करोड़ रुपये खर्च करके पूरी कर ली गई है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी पूरी कर ली गई है।

फारूख साहब फिर से आए हैं, इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं कि पूरे देश भर में गरीबों को ही पाँच लाख रुपये का स्वास्थ्य का पूरा खर्च नरेंद्र मोदी सरकार उठाती है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में सभी लोगों का पाँच लाख रुपये का खर्च उठाती है। ? (व्यवधान)

डॉ. फारूख अब्दुल्ला : जम्मू में आपकी पाँच लाख रुपये की स्कीम बहुत अच्छी है, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। ? (व्यवधान)

श्री अमित शाह: आपका धन्यवाद। ? (व्यवधान)

SHRI A. RAJA: Sir, a very senior member is speaking and the mic is not on. ? (*Interruptions*)

श्री अमित शाह: राजा जी**,** यह टेलीकम्युनिकेशन का विषय नहीं है**,** यह कश्मीर का विषय है। आप क्यों खड़े हो रहे हैं? ? (व्यवधान)

SHRI A. RAJA: Sir, I am not talking about Kashmir. I am talking about Farooq ji. ? (*Interruptions*)

DR. FAROOQ ABDULLAH: The hospitals are not accepting. ? (*Interruptions*) They are refusing to take it and say, हमें पैसा वापस नहीं मिल रहा है। मेहरबानी करके आप इसकी तरफ देखिए। ? (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : सर, नेहरू जी के बारे में ब्लंडर बोला गया है। ? (व्यवधान)

श्री अमित शाह: दादा आप बैठ जाइए। आपके जाने के बाद एक माननीय सदस्य खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इसके लिए ब्लंडर नहीं हिमालयन ब्लंडर शब्द भी प्रयोग किया गया है।? (व्यवधान)

मान्यवर, मैं जो बिल लेकर आया हूं, वह सालों से, जो अधिकारों से वंचित थे, अपना देश, अपना प्रदेश, अपना घर, अपनी भूमि और अपनी जायदाद छोड़कर अपने ही देश में निराश्रित हो गए थे, वैसे लोगों को अधिकार देने का बिल है। जिनका देश ही छूट गया, वैसे लोगों को अधिकार देने का बिल है। जो वर्षों से सम्मान से वंचित थे, वैसे पिछड़े वर्ग के लोगों को संवैधानिक शब्द अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्मानित करने का यह बिल है।

अत: मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं, आप मेरी पार्टी का जरूर विरोध कीजिए, प्रधानमंत्री जी की नीतियों का भी कीजिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी कीजिए, मगर बिल का उद्देश्य बहुत पवित्र है, कम से कम पिछड़े वर्ग के लोग और जो विस्थापित लोग हैं, उनकी ओर देखते हुए इस बिल का समर्थन कीजिए और इसको सर्वानुमति से पास कीजिए।

माननीय अध्यक्ष : श्री हसनैन मसूदी जी।

श्री हसनैन मसूदी : माननीय गृह मंत्री जी ने यहां पर जो बिल पेश किया है, मेरी पहली गुजारिश है कि ज़रा उसमें देखिए कि जो माइग्रेन्ट है, आपने उसकी डेफिनेशन क्या दी है? आप बिल में देखिए। Just have a look at the Bill. जो कश्मीरी माइग्रेन्ट है, आपने खुद एक्सप्लेनेशन में उसकी डेफिनेशन दी है। Please have a look at the Bill.

श्री अमित शाह : आप क्या कहना चाहते हैं? वह बताइए।

श्री हसनैन मसूदी : आप देखिए कि डेफिनेशन क्या है?

श्री अमित शाह : आप कहना क्या चाहते हैं?

श्री हसनैन मसूदी : आपने जो डेफिनेशन दी है, वह सब जिनको Preservation and Protection of Migrant Properties Act, 1996 में डिफाइन किया गया है। आपने इसमें जो डेफिनेशन दी है, उसको देखिए। वह एक्ट किसने बनाया है? जब आप ये सारे इल्ज़ामात पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं।?(व्यवधान)

श्री अमित शाह : ऐसा है तो विधान सभा में उनको?(व्यवधान) एक्ट बनाने से क्या होता है? मैं तो यही कह रहा हूं कि विस्थापित भी आपने ही किया है।?(व्यवधान)

श्री हसनैन मसूदी : जनाब, आपने कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला। आपने सही कहा है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन किया है? बल्कि यह ऑब्जर्व किया है कि हम पावरलेस नहीं हैं कि हम अन्डू करें, अगर ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई कदम उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि डिक्लाइन किया।?(व्यवधान) आपने डिक्लाइन नहीं किया, रिफ्यूज नहीं किया है। दूसरा, आपने टेंपरिंग की बात कही।?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मनीश तिवारी जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

? (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी : महोदय, मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन जज साहब अपनी बात तो खत्म करें।?(व्यवधान) अरे, हम वकील हैं और ये जज हैं।?(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल जब मैंने ये बात कही कि 5-6 अगस्त, 2019 को जो इस सदन में हुआ था**,** उसकी नींव दिसंबर, 2018 में रखी गई थी, तो माननीय गृह मंत्री जी ने उस पर आपत्ति उठाई थी। प्रेसिडेंशियल प्रोक्लामेशन की जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, मैं उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मगर जम्मू और कश्मीर की प्रेसिडेंशियल प्रोक्लामेशन थी, उसकी जो भाषा है, मैं वह भी पढ़कर सुनाना चाहता हूं। सिर्फ दो मिनट लगेंगे।

जो स्टैंडर्ड प्रेसिडेंशियल प्रोक्लामेशन है और मेरी पास उसकी कॉपी है। उसमें धारा 3 के संबंध में जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ?So much of the proviso to Article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State.? वर्ष 1889 से लेकर 2019 तक हर प्रेसिडेंशियल प्रोक्लामेशन में इसी भाषा का प्रयोग किया गया है।

जम्मू-कश्मीर की जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लामेशन है, उसमें उसका कैसे प्रयोग किया गया - ?So much of the first proviso to Article 3 of the Constitution as relates to the reference by the President to the Legislature of the State??. गृह मंत्री जी, इसको ध्यान से सुनिएगा, ??and the second proviso of that article.? ये सेकेंड प्रोवाइज़ो क्या है? ये सेकेंड प्रोवाइज़ो ये है, जब धारा 3 में आप किसी भी स्टेट को रिऑर्गेनाइज करते हैं, तो बगैर उसकी असेंबली को कॉन्फिडेंस में लिए आप वह रिऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, जो आपने 5-6 अगस्त, 2019 को किया था, आपने उसकी नींव दिसंबर, 2018 में रखी थी। यह एक बात है।

दूसरा, जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 निकाला और 367 (4) में प्रावधान किया और कहा कि लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब भारत की संसद है। आप ये भूल गए, जब आपने पार्लियामेंट को जम्मू-कश्मीर की

असेंबली में तब्दील किया, तो जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 147 है, which says that no Bill can be entertained in the Legislative Assembly, which changes the Constitutional arrangements between Jammu and Kashmir and the Union of India.

महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि?(व्यवधान) बस एक मिनट।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

श्री मनीश तिवारी : आपने संविधान की धारा 3 पढ़ी है। जहां-जहां सीट मिली है, वहां-वहां यूनियन टेरिटरी लिखकर देख लीजिए, फिर भी आपके पास अधिकार नहीं है to convert the State into two Union Territories. मैं इस सदन में जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : आइटम नं. 18 जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023.

प्रश्न यह है:

?कि जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

Clause 2 Amendment of section 2

माननीय अध्यक्ष: श्री आलोक कुमार सुमन जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 और 2 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. ALOK KUMAR SUMAN (GOPALGANJ): Sir, I am moving my amendments No. 1 and 2 to clause 2 of the Bill.

Sir, I beg to move:

Page 1, line 11,-

after ?backward classes?

insert ?or backward caste?. (1)

Page 1, line 14,-

after ?socially?

insert ?,economically?. (2)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री आलोक कुमार सुमन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 और 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

?कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री अमित शाह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

?कि विधेयक पारित किया जाए।?

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

?कि विधेयक पारित किया जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : आइटम नं. 19 जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023.

प्रश्न यह है:

?कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

?कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 Insertion of new sections 15A and 15B

माननीय अध्यक्ष: श्री आलोक कुमार सुमन जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 से 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. ALOK KUMAR SUMAN (GOPALGANJ): Sir, I am moving my amendments No. 1 to 3 to clause 3 of the Bill.

Sir, beg to move:

Page 2, line 19,-

for ?two members?

substitute ?three members?. (1)

Page 2, line 20,-

after ?Kashmiri Migrants?

insert ?either from Scheduled Caste or Scheduled Tribe?. (2)

Page 2, lines 26 and 27,-

for ?one member?

substitute ?three members?. (3)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री आलोक कुमार सुमन द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 से 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

?कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री अमित शाह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

?कि विधेयक पारित किया जाए।?

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

?कि विधेयक पारित किया जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

16.19 hrs